"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 307] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 23 अगस्त 2018— भाद्रपद 1 , शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2018

क्र. 8345/डी. 156/21-अ/प्रारू./छ.ग./18. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 28-08-2017 को राज्यपाल एवं दिनांक 03-08-2018 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्र. 21 सन् 2018)

छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017.

विषय–सूची

अध्याय–एक
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
2. परिभाषाएं.
3. कतिपय व्यक्तियों तथा परिसरों को अधिनियम का लागू नहीं होना.
4. कतिपय अधिकारों एवं विशेषाधिकारों का प्रभावित न होना.

अध्याय–दो
श्रम पहचान संख्या का पंजीयन एवं जारी करना

5. दुकान एवं स्थापना का पंजीयन एवं श्रम पहचान संख्या का जारी करना.

अध्याय–तीन
नियोजक का कर्त्तव्य

6. महिला कर्मकारों के विरूद्ध भेदभाव पर प्रतिषेध.
7. कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा.
8. कार्य के घण्टे.
9. अधिसमय (ओवर टाईम) के लिये वेतन (मजदूरी).
10. पाली एवं विश्राम (अवकाश) की अवधि.

अध्याय–चार
अवकाश तथा छुट्टी

11. वार्षिक, आकस्मिक एवं रूग्ण अवकाश एवं अन्य छुट्टियां.

अध्याय–पांच
कल्याणकारी उपबंध

12. पीने का पानी.
13. शौचालय एवं प्रसाधन.
14. झूलाघर की सुविधायें.
15. प्राथमिक उपचार.
16. केन्टीन.

अध्याय–छः

फैसिलिटेटर और उनकी शक्तियां एवं कार्य

17. मुख्य फैसिलिटेटर, फैसिलिटेटर की नियुक्ति एवं उनकी शक्तियां.

अध्याय–सात

अभिलेख तथा विवरणियां

18. पंजी एवं अभिलेख का संधारण.

19. वार्षिक विवरणी.

अध्याय–आठ

अपराध तथा शास्तियां

20 इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिये शास्ति.

21. इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन, जिसके परिणामस्वरुप घटना हुई है, के लिये शास्ति.

22. पंजी आदि उपलब्ध कराने हेतु अवरोध, इंकार हेतु शास्ति.

23. अपराध का संज्ञान.

24. अपराधों का प्रशमन.

अध्याय–नौ

विविध

25. संद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण.

26. छूट देने की शक्ति.

27. अन्य विधियों के लागू होने पर रोक नही.

28. नियम बनाने की शक्ति.

29. कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति.

30. निरसन एवं व्यावृत्ति.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्र. 21 सन् 2018)

छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017

दुकानों एवं स्थापनाओं में नियोजित कर्मकारों के नियोजन एवं अन्य सेवा शर्तों के विनियमन से संबंधित विधियों को समेकित एवं संशोधित करने हेतु तथा उनसे संबंधित और उनके आनुषंगिक विषयों हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

अध्याय–एक
प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(3) यह दस या अधिक कर्मकारों के नियोजन वाले दुकानों और स्थापनाओं पर लागू होगा।

(4) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य शासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं.

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "**मुख्य फैसिलिटेटर**" से अभिप्रेत है धारा 17 की उप–धारा (1) के अधीन नियुक्त मुख्य फैसिलिटेटर;

(ख) "**दिन**" से अभिप्रेत है मध्य रात्रि से प्रारंभ होने वाले चौबीस घण्टे की कालावधि;

(ग) "**नियोजक**" से अभिप्रेत है स्वामी या व्यक्ति, जिसका किसी दुकान या स्थापना के कार्यों पर अंतिम नियंत्रण हो तथा इसमें सम्मिलित है,–

(एक) किसी फर्म या व्यक्तियों के संघ की दशा में, फर्म या संघ का कोई भागीदार या सदस्य;

(दो) किसी कम्पनी की दशा में, कम्पनी का निदेशक;

(तीन) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व या उसके द्वारा नियंत्रित किसी दुकान या स्थापना की दशा में, यथास्थिति, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा ऐसे दुकान या स्थापना के कार्यों के प्रबंधन के लिये नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों;

(घ) "**स्थापना**" से अभिप्रेत है कोई परिसर, जो कारखाना अथवा दुकान का परिसर नहीं है,–

(एक) जिसमें कोई व्यापार, व्यवसाय, विनिर्माण या उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक या उसके सहायक कोई कार्य या कोई पत्रकारिता या मुद्रण कार्य या बैंकिंग का व्यवसाय, बीमा, स्टॉक एवं शेयर, ब्रोकरेज या उत्पाद विनिमय का कार्य किया जाता हो; अथवा

(दो) जिसे नाट्यशाला, चलचित्र अथवा कोई अन्य सार्वजनिक आमोद प्रमोद या मनोरंजन के रूप में उपयोग किया जाता हो, जिसमें कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के उपबंध लागू नहीं होते हों;

(ङ) "**अधिसूचना**" से अभिप्रेत है राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना;

(च) "**विहित**" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों द्वारा विहित;

(छ) "**दुकान**" से अभिप्रेत है कोई परिसर, जहां माल का, या तो फुटकर या थोक, विक्रय किया जाता हो अथवा जहां ग्राहकों को सेवायें प्रदान की जाती है तथा इसमें सम्मिलित है कार्यालय, भंडारकक्ष, गोदाम, भाण्डागार या कार्यगृह या कार्यस्थल, जहां निर्मित माल के वितरण या पैकिंग या पुनःपैकिंग करने का कार्य किया जाता हो, किन्तु इसमें कारखाने से संलग्न कोई दुकान, जहां दुकान में नियोजित व्यक्तियों को, कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के अधीन उपबंधित लाभ अनुज्ञात किया जाता हो, सम्मिलित नहीं है;

(ज) "**मजदूरी**" से अभिप्रेत है सभी पारिश्रमिक (चाहे वेतन, भत्ते या अन्य रूप में हों), जो धनराशि के अंतर्गत अभिव्यक्त हो अथवा इस प्रकार अभिव्यक्त किये जाने के योग्य हो, जो कि, यदि अभिव्यक्त या विवक्षित, नियोजन के शर्तों की पूर्ति हो गई हो, नियोजित व्यक्ति को उसके नियोजन या ऐसे नियोजन में किये गये कार्य के संबंध में देय होता, और इसमें सम्मिलित है,–

(एक) पक्षकारों के बीच किसी अधिनिर्णय या समझौता या किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी आदेश के अधीन संदेय कोई पारिश्रमिक;

(दो) कोई पारिश्रमिक, जिसका नियोजित व्यक्ति अधिसमय (ओवर टाईम) कार्य या अवकाश या कोई अवकाश की कालावधि के संबंध में हकदार है;

(तीन) नियोजन के निबंधनों के अधीन संदेय कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक (चाहे वह बोनस या कोई अन्य नाम से जाना जाता हो);

(चार) कोई राशि, जो नियोजित व्यक्ति के नियोजन का पर्यवसान हो जाने के कारण किसी विधि, संविदा या लिखत के अधीन संदेय है जिसमें ऐसी राशि, चाहे कटौती सहित या कटौती के बिना हो, भुगतान करने हेतु उपबंधित हो;

(पांच) कोई राशि, जिसका नियोजित व्यक्ति, तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन निर्मित किसी योजना के अन्तर्गत हकदार हो; और

(छः) गृह भाड़ा भत्ता,

किन्तु इसमें सम्मिलित नहीं है,–

(क) कोई बोनस, जो नियोजन के निबंधनों के अधीन संदेय पारिश्रमिक का भाग नहीं है या पक्षकारों के बीच हुए किसी अधिनिर्णय या समझौता या न्यायालय के किसी आदेश के अधीन संदेय नहीं है;

(ख) किसी आवास सुविधा या रोशनी, जल, चिकित्सीय परिचर्या या अन्य सुख–सुविधा के प्रदाय या किसी ऐसी सेवा का मूल्य, जो राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा वेतन (मजदूरी) की संगणना से अपवर्जित है;

(ग) किसी पेंशन या भविष्य निधि में नियोजक द्वारा संदत्त कोई अभिदाय, और ब्याज जो उस पर प्रोद्भूत किया जा सकेगा;

(घ) कोई यात्रा भत्ता या किसी यात्रा रियायत का मूल्य;

(ड.) किसी नियोजित व्यक्ति को विशेष व्यय चुकाने के लिए संदत्त कोई राशि, जो उसे अपने नियोजन की प्रकृति के कारण उठाने पड़े; या

(च) उप–खण्ड (4) में विनिर्दिष्ट मामलों से भिन्न मामलों में नियोजन के पर्यवसित होने पर संदेय कोई उपादान;

(झ) "**सप्ताह**" से अभिप्रेत है शनिवार मध्य रात्रि से प्रारंभ होने वाले सात दिनों की कालावधि या ऐसी अन्य रात्रि, जैसा कि मुख्य फैसीलिटेटर द्वारा विशेष क्षेत्र के लिए लिखित में अनुमोदित किया जाये;

(ञ) "**कर्मकार**" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति (प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अधीन प्रशिक्षु को छोड़कर), जिसे कोई शारीरिक श्रम, अकुशल, कुशल, तकनीकी, प्रायोगिक या लिपिकीय कार्य हेतु किराये या प्रतिफल पर नियोजित किया गया हो, चाहे नियोजन की शर्तें अभिव्यक्त हो या विवक्षित हो।

कतिपय व्यक्तियों तथा परिसरों को अधिनियम का लागू नहीं होना.

3. (1) इस अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे,–

(क) ऐसा कर्मकार जो गोपनीय, प्रबंधकीय या पर्यवेक्षण प्रकृति के प्रास्थिति पर किसी दुकान या स्थापना में कार्यरत हो;

(ख) कोई कर्मकार जिसका कार्य स्वाभाविक रूप से अनिरंतर रहा हो;

(ग) शासन या स्थानीय प्राधिकारी के किसी कार्यालय;

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक के किसी कार्यालय;

(ड.) रोगी, अशक्त, निराश्रित या मानसिक रूप से अयोग्य के उपचार या परिचर्या हेतु प्रयुक्त कोई स्थापना; और

(च) किसी नियोजक के कुटुम्ब का सदस्य।

(2) उप–धारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट कर्मकारों की सूची, दुकान अथवा स्थापना के बेवसाइट पर तथा बेवसाइट के अभाव में, दुकान या स्थापना के सहज दृश्य स्थान पर, प्रदर्शित की जायेगी एवं उसकी एक प्रति फैसिलिटेटर को भेजी जायेगी।

कतिपय अधिकारों एवं विशेषाधिकारों का प्रभावित न होना.

4. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात, किसी अधिकार या विशेषाधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, जिसका कोई कर्मकार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि, अवार्ड, अनुबंध, संविदा, प्रथा या प्रचलन के अधीन हकदार है।

अध्याय–दो
श्रम पहचान संख्या का पंजीयन एवं जारी करना

दुकान एवं स्थापना का पंजीयन एवं श्रम पहचान संख्या का जारी करना.

5. (1) अधिनियम के प्रारंभ होने पर, प्रत्येक दुकान एवं स्थापना, जिसमें दस या अधिक कर्मकार नियोजित हैं, ऐसे प्रारंभ होने की तिथि से अथवा तिथि, जिस पर ऐसा दुकान या स्थापना अस्तित्व में आया है, से छः माह की कालावधि के भीतर पंजीयन हेतु आवेदन करेगा एवं श्रम पहचान संख्या प्राप्त करेगा।

(2) प्रत्येक दुकान एवं स्थापना, जिसमें दस या अधिक कर्मकार नियोजित हैं, पंजीयन हेतु ऐसे प्राधिकारी को, ऐसे प्ररूप एवं रीति में, जैसा कि विहित किया जाये, आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(3) उप–धारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकारी, उप–धारा (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, दुकान अथवा स्थापना का पंजीयन करेगा और ऐसे प्ररूप में, जैसा कि विहित किया जाये, श्रम पहचान संख्या जारी करेगा।

(4) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) अथवा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण

उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) अथवा इसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों, विनियमों या योजनाओं के प्रावधानों के अधीन पंजीकृत दुकानों और स्थापनाओं को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए पंजीकृत माना जायेगा:

परन्तु यह कि ऐसे दुकानों एवं स्थापनाओं को इस अधिनियम के प्रारंभ होने के छः माह की कालावधि के भीतर, ऐसी रीति में, जैसा कि विहित किया जाये, श्रम पहचान संख्या प्राप्त करेगा।

अध्याय–तीन
नियोजक का कर्त्तव्य

महिला कर्मकारों के विरूद्ध भेदभाव पर प्रतिषेध.

6. (1) किसी महिला कर्मकार के विरूद्ध भर्ती, प्रशिक्षण, स्थानांतरण, पदोन्नति या वेतन (मजदूरी) से संबंधित मामले में, भेदभाव नहीं किया जायेगा।

(2) किसी महिला को, सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे के मध्य को छोड़कर, दुकान या स्थापना में अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह कि जहां राज्य शासन या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी व्यक्ति का समाधान हो जाता है कि आश्रय, विश्राम गृह, रात्रि शिशु गृह, महिला प्रसाधन, उसकी गरिमा, सम्मान एवं सुरक्षा का समुचित संरक्षण, यौन उत्पीड़न से सुरक्षा एवं दुकान एवं स्थापना से उनके विद्यमान निवास के द्वार तक उनको पहुंचाने की व्यवस्था ऐसे दुकान या स्थापना में है, तो वह, अधिसूचना द्वारा, महिला कर्मकार की सहमति अभिप्राप्त करने के पश्चात्, ऐसी शर्तों, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, के अध्यधीन रहते हुए, रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कार्य करने हेतु उनको अनुज्ञात कर सकेगा।

कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा.

7. (1) प्रत्येक नियोजक, कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (जिसमें सफाई, प्रकाश, खिड़कियां एवं अग्नि से बचाव) से संबंधित ऐसे उपाय करेगा, जैसा कि विहित किया जाये।

(2) प्रत्येक नियोजक, ऐसे दुकान या स्थापना में नियोजित कर्मकारों के सतत एवं पर्याप्त पर्यवेक्षण की व्यवस्था करने हेतु तथा किसी प्रकार के दुर्घटना के होने से रोकने के लिए उप–धारा (1) के अंतर्गत उपबंधित आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी होगा।

कार्य के घण्टे.

8. (1) किसी भी वयस्क कर्मकार से दुकान या स्थापना में सप्ताह में अड़तालीस घण्टे एवं एक दिन में नौ घण्टे से अधिक निरंतर कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी अथवा उन्हें अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि प्रत्येक पांच घंटे के पश्चात उसे विश्राम अन्तराल, जो आधे घण्टे से कम न हो, नहीं दिया गया हो :

परंतु अत्यावश्यक प्रकृति के कार्य की दशा में एवं फैसिलिटेटर की पूर्व अनुमति से, कार्य के घण्टे या साप्ताहिक विश्राम को शिथिल की जा सकेगी।

(2) किसी दुकान या स्थापना में एक पाली में विश्राम अंतराल सहित कार्य के कुल घण्टों की अवधि, साढ़े दस घण्टे से अधिक नहीं होगी और यदि कर्मकार को अनिरंतर प्रकृति के कार्य या अतिआवश्यक कार्य सौपें गये हैं, तो कार्य की कुल अवधि, बारह घण्टे से अधिक नहीं होगी।

(3) यदि एक दिन में नौ घण्टे एवं सप्ताह में अड़तालिस घण्टे से अधिक कार्य किया जाता है तो वह अधिसमय (ओवर टाईम) माना जायेगा और अधिसमय (ओवर टाईम) घण्टे की कुल संख्या, तीन माह की अवधि में एक सौ पच्चीस घण्टे से अधिक नही होगी।

(4) राज्य शासन,–

(क) उप–धारा (1) के अध्यधीन रहते हुए, एक या अधिक विनिर्दिष्ट अन्तरालों सहित कार्य के घण्टे, जो किसी भी दुकान या

स्थापना में नियोजित कर्मकारों के लिये सामान्य कार्य दिवस होगा, निर्धारित करने;

(ख) सात दिवस की प्रत्येक कालावधि में एक विश्राम (अवकाश) दिवस की व्यवस्था, जो किसी भी दुकान या स्थापना में नियोजित सभी कर्मकारों को अनुज्ञात होगा, एवं ऐसे विश्राम (अवकाश) दिवस के संबंध में पारिश्रमिक के भुगतान की व्यवस्था,

के लिये नियम बनायेगा।

(5) उप–धारा (1) एवं (2) के उपबंध, ऐसे दुकान एवं स्थापना में नियोजित कर्मकारों के निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध में, केवल ऐसी सीमा एवं ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसा कि विहित किया जाये, लागू होंगे, अर्थात्:–

(क) आवश्यक या अति आवश्यक कार्य में संलग्न कर्मकार, जिन्हें उस कार्य से नजर अंदाज अथवा निवारित नहीं किया जा सका हो;

(ख) प्रारंभिक या पूरक प्रकृति के कार्य में संलग्न कर्मकार, जिनके द्वारा उस कार्य को नियमों में वर्णित कार्य के सामान्य घण्टे के बाद किया जाना आवश्यक हो;

(ग) तकनीकी कारणों से किसी कार्य में संलग्न कर्मकार, जिनके द्वारा उस कार्य को उसी दिन पूर्ण करना हो;

(घ) ऐसे कार्य में संलग्न कर्मकार जो प्राकृतिक आपदा संबंधी अनियमित कार्य पर लगने वाले समय के सिवाय, नही किया जा सकता; और

(ड.) उच्च कुशल कर्मकार (जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी, की स्थापना, बायो तकनीकी और शोध तथा विकास विभाग में कार्यरत कर्मकार)।

अधिसमय (ओवर टाईम) के लिये वेतन (मजदूरी) .

9. जहां किसी कर्मकार से किसी दिन नौ घण्टे अथवा सप्ताह में अड़तालीस घण्टे से अधिक कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, तो वह, उसे प्राप्त होने वाली सामान्य वेतन (मजदूरी) से दुगनी दर पर वेतन (मजदूरी) अथवा ऐसा उच्चतम राशि, जैसा कि विहित किया जाये, प्राप्त करने का हकदार होगा।

पाली एवं विश्राम (अवकाश) की अवधि.

10. (1) दुकान या स्थापना के एक विभाग या उस विभाग के किसी शाखा में, एक से अधिक पाली में कार्य किया जा सकेगा एवं कर्मकार को नियोजक के विवेकानुसार किसी भी पाली में कार्य करने हेतु अपेक्षित किया जा सकेगा।

(2) किसी दुकान अथवा स्थापना में सप्ताह में सभी दिनों में इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कार्य किया जा सकेगा कि विश्राम हेतु प्रत्येक कर्मकार को लगातार कम से कम चौबीस घण्टे की साप्ताहिक छुट्टी अनुज्ञात किया जाये।

(3) यदि कोई कर्मकार साप्ताहिक छुट्टी लेने से इंकार करता है तो उसके बदले में उसे, ऐसी साप्ताहिक छुट्टी के दो माह के भीतर, प्रतिकारात्मक अवकाश दिया जायेगा।

(4) ऐसी पालियों में कार्यरत सभी श्रेणी के कर्मकारों के एक सप्ताह में किये गये कार्य की कालावधि तथा घंटों की जानकारी, सभी कर्मकारों को लिखित में दी जायेगी एवं उसे फैसिलिटेटर को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा भेजी जायेगी।

(5) जहां किसी कर्मकार से विश्राम के दिन में भी कार्य करने की अपेक्षा की जाती है तो वह, उसके सामान्य वेतन (मजदूरी) के दर से दुगुनी दर पर वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा।

अध्याय–चार
अवकाश तथा छुट्टी

वार्षिक, आकस्मिक एवं रूग्ण अवकाश एवं अन्य छुट्टियां.

11. (1) प्रत्येक कर्मकार को वेतन (मजदूरी) सहित साप्ताहिक छुट्टी दिया जायेगा:

परन्तु राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा, क्षेत्र के पृथक पृथक श्रेणी के दुकानों और स्थापनाओं के लिए पृथक पृथक दिनों को साप्ताहिक छुट्टी के रूप में नियत कर सकेगा।

(2) प्रत्येक कर्मकार को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में वेतन (मजदूरी) सहित आठ दिनों के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी जो कर्मकार के खाते में त्रैमासिक आधार पर जमा होगी।

(3) प्रत्येक कर्मकार जिसने किसी दुकान या स्थापना में दो सौ चालीस दिन या अधिक की कालावधि तक एक कलैण्डर वर्ष में कार्य किया है, तो पूर्व कैलेण्डर वर्ष के दौरान उसके द्वारा किये गये कार्य के प्रत्येक बीस दिनों के लिये एक दिन की दर से संगणित दिनों की संख्या के लिये वेतन (मजदूरी) सहित अवकाश, पश्चात्वर्ती कैलेण्डर के दौरान अनुज्ञात की जायेगी।

(4) प्रत्येक कर्मकार को अधिकतम पैंतालीस दिन तक के अर्जित अवकाश संग्रहित करने हेतु अनुमति होगी।

(5) जहां नियोजक पन्द्रह दिन पूर्व आवेदन दिये जाने पर भी अवकाश स्वीकृत करने से इंकार करता है तो कर्मकार को, पैंतालीस दिन से अधिक के अवकाश का नकदीकरण प्राप्त करने का अधिकार होगा:

परंतु यदि कोई कर्मकार इस धारा के अंतर्गत अवकाश की पात्रता रखता है, उसे अवकाश स्वीकृत करने के पूर्व उसके नियोजक द्वारा मुक्त कर दिया जाता है अथवा यदि उसने अवकाश हेतु आवेदन कर दिया है एवं उस अवकाश को देने से इंकार कर दिया गया है, वह सेवानिवृत होने, त्यागपत्र, मृत्यु या स्थायी निःशक्तता के कारण अपने नियोजन से पृथक हो जाता है, तो नियोजक, उसे देय अवकाश की कालावधि के लिये पूर्णतः वेतन (मजदूरी) संदाय करेगा।

(6) कोई भी कर्मकार, एक कैलेण्डर वर्ष में आठ त्यौहारी छुट्टियों के भुगतान का अर्थात् स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस एवं गांधी जयंती तथा ऐसी अन्य पांच त्यौहारी छुट्टियां जिन्हें वर्ष के प्रारंभ होने के पहले नियोजक एवं कर्मकारों के मध्य सहमति हो, हकदार होगा।

(7) उप–धारा (3) के प्रयोजनों के लिये,–

(क) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (1946 का 20) के अधीन प्रमाणित स्थायी आदेश के अंतर्गत समझौता अथवा संविदा या अनुमति द्वारा किसी दिन का ले–ऑफ ;

(ख) महिला कर्मकारों के मामले में, मातृत्व हित लाभ अधिनियम, 1961 (1961 का 53) के प्रावधानों के अधीन मातृत्व अवकाश;

(ग) उस वर्ष के पूर्व में अर्जित अवकाश, जिसमें अवकाश का उपभोग किया गया है;

(घ) उसके नियोजन के दौरान हुये दुर्घटना से कारित अस्थायी निःशक्तता के कारण कर्मकार की अनुपस्थिति,

को ऐसा दिन समझा जायेगा जिस पर कर्मकार ने दुकान या स्थापना में दो सौ चालीस दिवस या उससे अधिक की कालावधि की गणना के प्रयोजन के लिये कार्य किया है, किन्तु इन दिनों के लिये अवकाश प्राप्त नहीं होगी।

(8) उप–धारा (3) के अधीन अनुज्ञेय अवकाश, सभी छुट्टियों (अवकाश) के अनन्य होंगे चाहे वे अवकाश की कालावधि के दौरान घटित हो या इसके अंत में हो।

अध्याय–पांच
कल्याणकारी उपबंध

पीने का पानी.

12. प्रत्येक नियोजक, उचित स्थान पर पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्यप्रद पेयजल की व्यवस्था एवं रख–रखाव करेगा जो दुकान या स्थापना में नियोजित समस्त कर्मचारियों के लिए सुविधानुसार अवस्थित हो।

शौचालय एवं प्रसाधन.

13. प्रत्येक नियोजक यथा विहित पुरूष एवं महिलाओं के लिए प्रयाप्त रूप से शौचालय एवं प्रसाधन सुविधा उपलब्ध करायेगा। जो दुकान या स्थापना में नियोजित कर्मकारों के लिए सुगमता से पहुंचनीय स्थान पर अवस्थित होगा:

परन्तु विभिन्न नियोजक सामान्य सुविधायें उपलब्ध करा सकेंगे यदि किसी दुकान अथवा स्थापना में स्थान या अन्यथा कमी के कारण संभव न हो।

झूलाघर की सुविधायें.

14. प्रत्येक दुकान या स्थापना में जहां तीस या उससे अधिक महिला कर्मकार नियोजित हैं अथवा पचास या उससे अधिक कर्मकार सामान्यतः नियोजित है तो नियोजक, ऐसे समुचित कक्ष या कक्षों की व्यवस्था एवं रख–रखाव करेगा जिसमें ऐसे महिला कर्मकारों के बच्चों के उपयोग के लिये झूलाघर हो:

परन्तु यदि दुकान एवं स्थापना के समूह, एक किलोमीटर की परिधि के भीतर सामान्य झूलाघर प्रदान करने का निर्णय लेता है, तो उसकी अनुमति, आदेश द्वारा, ऐसी शर्तों, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए के अध्यधीन रहते हुए मुख्य फैसिलिटेटर द्वारा दी जाएगी।

प्राथमिक उपचार.

15. प्रत्येक नियोजक, कार्यस्थल पर प्राथमिक उपचार की ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसा कि विहित किया जाए।

केन्टीन.

16. राज्य शासन, ऐसे दुकानों एवं स्थापनाओं में, जहां नियोजित कर्मकारों अथवा सामान्य तौर पर कर्मकारों की संख्या एक सौ से कम नहीं है, उन कर्मकारों के उपयोग के लिये केन्टीन की व्यवस्था करने एवं रख–रखाव करने की नियोजक से अपेक्षा करेगा:

परन्तु यदि दुकानों एवं स्थापनाओं का समूह, सामान्य केन्टीन व्यवस्था करने का निर्णय लेता है तो उसकी अनुमति मुख्य फैसिलिटेटर द्वारा, आदेश द्वारा, ऐसी शर्तों, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, के अध्यधीन रहते हुए दी जाएगी।

अध्याय–छः
फैसिलिटेटर और उनकी शक्तियां एवं कार्य

मुख्य फैसिलिटेटर, फैसिलिटेटर की नियुक्ति एवं उनकी शक्तियां.

17. (1) राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकेगा जो इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिये फैसिलिटेटर होने के लिये विहित अर्हता रखते हों एवं उन्हें ऐसे स्थानीय सीमा के भीतर कार्यभार सौंपा जा सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे :

परंतु यह कि राज्य शासन अधिसूचना द्वारा मुख्य फैसिलिटेटर की नियुक्ति कर सकेगा जो इस अधिनियम के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त पूरे राज्य में फैसिलिटेटर की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(2) राज्य शासन, दुकानों अथवा स्थापनाओं के निरीक्षण हेतु एक योजना विहित करेगा जो एक वेब आधारित निरीक्षण शेड्यूल उपलब्ध करायेगा।

(3) प्रत्येक फैसिलिटेटर एवं मुख्य फैसिलिटेटर जो उप–धारा (1) के अधीन नियुक्त किये गये हैं, भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक समझे जायेंगे एवं ऐसे प्राधिकारी, जैसा कि राज्य शासन इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें, के पदीय तौर पर अधीनस्थ होंगे।

(4) ऐसी शर्तों, जैसा कि विहित किया जाये, के अध्यधीन रहते हुए फैसिलिटेटर, स्थानीय सीमाओं जिसके लिए वह नियुकत है, के भीतर,–

(एक) नियोजकों एवं कर्मकारों को सलाह दे सकेगा एवं उन्हें ऐसी

जानकारी जैसा कि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी अनुपालन के लिये आवश्यक समझता हो, उपलब्ध करा सकेगा;

(दो) उप–धारा (2) के अधीन निर्दिष्ट निरीक्षण हेतु योजनाओं के अनुसार दुकान या स्थापना का निरीक्षण कर सकेगा एवं,–

(क) कोई व्यक्ति जो दुकान या स्थापना के किसी परिसर में पाया जाता है और उसके लिए पास विश्वास करने का कारण है कि दुकान या स्थापना का कर्मकार है, परीक्षण कर सकेगा;

(ख) किसी व्यक्ति से जो उसके अधिकार क्षेत्र में है व्यक्तियों के नाम और पते के संबंध में कोई जानकारी देने हेतु अपेक्षा कर सकेगा;

(ग) ऐसे पंजी, वेतन के दस्तावेज या नोटिस या उसके किसी भाग, जैसा कि इस अधिनियम के अधीन अपराध के संबंध में जो कि फैसिलिटेटर सुसंगत मानता है, तथा फैसिलिटेटर के पास विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि नियोक्ता द्वारा अपराध किया गया है, की तलाशी, जब्ती या प्रतिलिपि ले सकेगा;

(घ) त्रुटि एवं दोष जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि सम्मत न हो, राज्य शासन की जानकारी में ला सकेगा; और

(ड.) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग, जैसा कि विहित किया जाये:

परंतु यह कि किसी व्यक्ति को इस धारा के अधीन किसी प्रश्न का उत्तर देने अथवा स्वयं को दोषी ठहराने हेतु कोई साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा।

(5) उप–धारा (4) के अधीन फैसिलिटेटर द्वारा अपेक्षित कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने या कोई जानकारी देने के लिए अपेक्षित कोई व्यक्ति, भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 175 एवं धारा 176 के अर्थ के भीतर ऐसा करने के लिए विधिक रूप से बाध्य समझा जायेगा।

(6) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंध, जहां तक हो सके, उप–धारा 4 के खण्ड (दो) के उप–खण्ड (ग) के अधीन तलाशी एवं जब्ती के लिए लागू होंगे, जैसे कि वे उक्त संहिता की धारा 94 के अधीन जारी वारंट के प्राधिकार के अन्तर्गत तलाशी या जब्ती के लिए लागू होते हैं।

अध्याय–सात
अभिलेख तथा विवरणियां

पंजी एवं अभिलेख का संधारण.

18. (1) प्रत्येक नियोजक, ऐसी पंजियां एवं अभिलेख संधारित करेगा जैसा कि विहित किया जाये।

(2) अभिलेखों का संधारण इलेक्ट्रानिक रूप से अथवा हस्तलिपि में किया जा सकेगा:

परंतु फैसिलिटेटर द्वारा निरीक्षण के दौरान, यदि ऐसे अभिलेख की हार्ड प्रति की मांग की जाती है, तो उसकी सम्यक् रूप से हस्ताक्षारित प्रति नियोजक द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

वार्षिक विवरणी.

19. दुकान या स्थापना का प्रत्येक नियोजक, ऐसे प्ररूप तथा रीति में (इलेक्ट्रानिक प्ररूप सहित), ऐसे प्राधिकारी को, वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा, जैसा कि विहित किया जाये।

अध्याय–आठ
अपराध तथा शास्तियां

इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए शास्ति.

20. (1) जो कोई, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उसे ऐसे जुर्माने, जो दो लाख रूपये तक का हो सकेगा और निरंतर उल्लंघन की दशा में, प्रत्येक दिन, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है, के लिए अतिरिक्त जुर्माने, जो दो हजार रूपये तक का हो सकेगा, से दण्डित किया जायेगा।

परंतु जुर्माने की कुल राशि, नियोजित प्रति कर्मकार दो हजार रूपये से अधिक नही होगी।

(2) यदि कोई व्यक्ति, जिसे उप–धारा (1) के अंतर्गत दण्डनीय किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, पुनः उसी प्रावधान के उल्लंघन अंतर्वलित अपराध का, या उसके अनुपालन में विफलता का, दोषी पाया जाता है, तो उसे, पश्चातवर्ती दोषसिद्धी पर जुर्माने, जो एक लाख रूपये से कम नही होगा किन्तु जो पांच लाख रूपये तक का हो सकेगा, से दण्डित किया जायेगा।

इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन, जिसके परिणाम स्वरूप घटना हुई है, के लिए शास्ति.

21. इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, जहां कोई नियोजक, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के किन्हीं प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप दुर्घटना में कर्मकार को गंभीर शारीरिक क्षति हुई है, अथवा उसकी मृत्यु हुई है, तो वह कारावास से, जो छः माह तक का हो सकेगा और जुर्माने से जो जो दो लाख रूपये से कम नही होगा किन्तु जो पांच लाख रूपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डित किया जायेगा।

पंजी, आदि उपलब्ध कराने हेतु अवरोध, इंकार हेतु शास्ति.

22. (1) जो कोई, इस अधिनियम के अधीन या इसके द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करने से, फैसिलिटेटर को जानबूझकर बाधा पहुंचाता है या इंकार करता है अथवा फैसिलिटेटर को दुकान या स्थापना के संबंध में इस अधिनियम अधीन या इसके द्वारा प्राधिकृत कोई निरीक्षण, परीक्षण, जांच एवं अन्वेषण करने के लिए कोई भी युक्तियुक्त सुविधा उपलब्ध कराने से जानबूझकर उपेक्षा करता है, तो वह जुर्माने, जो दो लाख रूपये तक का हो सकेगा, से दण्डित किया जायेगा।

(2) जो कोई, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में रखे गये कोई पंजी या अन्य दस्तावेज, फैसिलिटेटर द्वारा मांगे जाने पर, प्रस्तुत करने से जानबूझकर इंकार करता है अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत उसके कर्तव्य के अनुसरण में कार्यवाही हेतु फैसिलिटेटर के समक्ष उपस्थित होने से या उसके द्वारा परीक्षा किये जाने से, किसी व्यक्ति को रोकता है या रोकने का प्रयास करता हो या यह विश्वास करने का कारण है कि रोकने हेतु कुछ भी कार्य करता है, तो उसे जुर्माने, जो दो लाख रूपये तक का हो सकेगा, से दण्डित किया जायेगा :

परंतु जुर्माने की कुल राशि, नियोजित प्रति कर्मकार दो हजार रूपये से अधिक नही होगी।

अपराध का संज्ञान.

23. (1) कोई न्यायालय, इस अधिनियम एवं इसके अधीन बनाये गये नियमों के अंतर्गत दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक नही लेगा, जब तक कि उसके संबंध में कोई परिवाद, फैसिलिटेटर द्वारा ऐसी तारीख, जिस पर कथित अपराध, फैसिलिटेटर की जानकारी में आता है, के तीन माह के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है :

परंतु जहां फैसिलिटेटर द्वारा, अवज्ञा अंतर्विष्ट अपराध हेतु, लिखित आदेश दिया जाता है, तो उसका परिवाद, ऐसी तारीख, जिस पर अपराध किया जाना कथित है, के छः माह के भीतर प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(2) प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय, इस अधिनियम एवं इसके अधीन बनाये गये नियमों के अंतर्गत दण्डनीय किसी अपराध का विचारण करेगा।

अपराधों का प्रशमन.

24. (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय कोई अपराध, जो मात्र कारावास से या कारावास और जुर्माने से भी दण्डनीय अपराध नहीं है, अभियुक्त व्यक्ति के आवेदन पर, या तो अभियोजन संस्थित होने के पूर्व या पश्चात् हो, राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रशमन किया जा सकेगा, जैसा कि राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा, ऐसी रीति के अपराध, जो कि विहित किया जाये, के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने की पचास प्रतिशत की राशि के लिए, विनिर्दिष्ट करे।

(2) उप–धारा (1) में अंतर्विष्ट बात,–

(क) उसी प्रकार का अपराध, जिसका पूर्व में प्रशमन किया गया हो, के कारित करने की;

(ख) उसी प्रकार का अपराध, जिसके लिए व्यक्ति, पूर्व में दोषसिद्ध ठहराया गया हो, के कारित करने की,

तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर दूसरी बार या तत्पश्चात् के लिए व्यक्ति द्वारा कारित अपराध पर लागू नही होगा।

(3) उप–धारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी, राज्य शासन के निर्देशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अध्यधीन रहते हुए, किसी भी अपराध के प्रशमन करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(4) अपराध के प्रशमन के लिए प्रत्येक आवेदन, ऐसे प्ररूप एवं रीति में किया जायेगा जैसा कि विहित किया जाये।

(5) जहां किसी अपराध का, अभियोजन संस्थित करने के पूर्व, प्रशमन हो गया हो, वहां उस अपराध के संबंध में, अपराधी, जिसके अपराध का इस प्रकार प्रशमन हो गया है, के विरूद्ध कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जायेगा।

(6) जहां किसी अपराध का प्रशमन, अभियोजन संस्थित करने के पश्चात् किया जाता है, वहां ऐसा प्रशमन, उप–धारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा, लिखित में न्यायालय, जिसमें अभियोजन लंबित है, के संज्ञान में लाया जायेगा तथा अपराध के प्रशमन की ऐसी सूचना पर, व्यक्ति, जिसके विरूद्ध अपराध का इस प्रकार प्रशमन किया गया है, को निर्मुक्त किया जायेगा।

(7) कोई व्यक्ति, जो उप–धारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश को पालन करने में विफल रहता है, वह, ऐसे जुर्माने के अतिरिक्त, अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने के बीस प्रतिशत के बराबर राशि भुगतान करने हेतु दायी होगा।

(8) इस धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत एवं उसके अनुसरण के सिवाय, इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय किसी अपराध का प्रशमन नही किया जायेगा ।

अध्याय–नौ
विविध

सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण.

25. इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित किसी नियम के अनुपालन में सद्भावनापूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी कार्य करने के लिए, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की सेवा के कोई लोक सेवक या कोई अन्य व्यक्ति, जो किसी ऐसे लोक सेवक के निर्देश के अधीन कार्य करता है, के विरूद्ध कोई वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होगी।

छूट देने की शक्ति.

26. राज्य शासन अथवा इस निमित्त सशक्त किया गया कोई अधिकारी, अधिसूचना द्वारा, किसी दुकान या स्थापना या उसके किसी वर्ग या कोई नियोजक या कर्मचारी या नियोजकों या कर्मचारियों के किसी वर्ग, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, को ऐसे निबंधन एवं शर्तों, जैसा कि वह उचित समझे, ऐसी कालावधि, जैसा कि आवश्यक समझे, के लिए इस अधिनियम के समस्त या किसी प्रावधानों से छूट दे सकेगा।

अन्य विधियों के लागू होने पर रोक नहीं.

27. इस अधिनियम के प्रावधान, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, उनके अल्पीकरण में नहीं।

नियम बनाने की शक्ति.

28. (1) राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए नियम बना सकेगा।

(2) विशेषतः एवं पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए ऐसा नियम उपबंधित किया जा सकेगा, अर्थात्:–

(क) प्राधिकारी जिसको, एवं प्ररूप और रीति जिसमें, धारा (5) की उप–धारा (2) के अंतर्गत आवेदन किया जायेगा, उप–धारा (3) के अंतर्गत श्रम पहचान संख्या का प्ररूप तथा उप–धारा (4) के अंतर्गत श्रम पहचान संख्या प्राप्त करने की रीति;

(ख) धारा 7 की उप–धारा (1) के अंतर्गत कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (सफाई, प्रकाश, रोशनदान, अग्नि की रोकथाम) के संबंध में नियोजक द्वारा की जाने वाली उपाय;

(ग) धारा 8 की उप–धारा (4) के अंतर्गत नियमों द्वारा उपबंधित विषय;

(घ) शर्तें जिसके अध्यधीन धारा 8 की उप–धारा (1) एवं उप–धारा (2) के प्रावधान, उस धारा की उप–धारा (5) के अंतर्गत कर्मकारों की कतिपय श्रेणियों को लागू होगी;

(ड.) धारा 9 के अंतर्गत उपबंधित उच्च वेतन (मजदूरी) की दर;

(च) धारा 13 के अंतर्गत उपबंधित पर्याप्त शौचालय एवं प्रसाधन की व्यवस्था तथा धारा 15 के अंतर्गत उपबंधित प्रथमोपचार की सुविधा की व्यवस्था;

(छ) धारा 17 की उप–धारा (1) के अंतर्गत उपबंधित फैसिलिटेटर की योग्यता, शर्तें जिसके अध्यधीन फैसिलिटेटर उप–धारा (4) के अंतर्गत उपबंधित अपनी शक्तियों का तथा उप–धारा 4 के खण्ड (दो) के उप–खण्ड (ड.) के अंतर्गत उपबंधित उसके द्वारा प्रयोग किये जाने योग्य अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा;

(ज) धारा 18 की उप–धारा (1) के अंतर्गत उपबंधित नियोजक द्वारा अनुरक्षित की जाने वाली पंजियों एवं अभिलेखों के लिए;

(झ) धारा 19 के अंतर्गत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने हेतु प्ररूप एवं रीति (जिसमें इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप सम्मिलित है), तथा ऐसे विवरणी को प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा;

(ञ) धारा 24 की उप–धारा (1) के अंतर्गत उपबंधित अपराधों के प्रशमन की रीति, तथा उप–धारा (4) के अंतर्गत ऐसे प्रशमन के लिए आवेदन करने का प्ररूप एवं रीति;

(ट) कोई अन्य विषय जो कि विहित किया जाना अपेक्षित हो या विहित किया जाये।

(3) उप–धारा (1) एवं (2) के अधीन बनाये गये प्रत्येक नियम, राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति.

29. (1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य शासन, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे प्रावधान बना सकेगा, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो, और जैसा कि उसे कठिनाईयों के निराकरण के लिए आवश्यक प्रतीत हो:

परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् इस धारा के अन्तर्गत कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अंतर्गत किया गया प्रत्येक आदेश, इसके बनाये जाने के पश्चात, यथा शीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा ।

निरसन एवं व्यावृत्ति.

30. (1) छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्र.25 सन् 1958) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) उप–धारा (1) के अंतर्गत अधिनियम के निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, जहां तक ऐसा कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो, इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायेगी ।

(3) इस धारा के अंतर्गत विशेष विषय का वर्णन साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (क्र. 10 सन् 1897) की धारा 6 की सामान्य प्रयोज्यता को प्रतिकूलित या प्रभावित नहीं करेगा।

नया रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2018

क्र. 8345/डी. 156/21–अ/प्रारू./छ.ग./18. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23–8–2018 का अंग्रेजी अनुवाद राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 21 of 2018)

THE CHHATTISGARH SHOPS AND ESTABLISHMENTS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND CONDITIONS OF SERVICE) ACT, 2017.

TABLE OF CONTENTS

CHAPTER – I
PRELIMINARY

1. Short title, extent, application and commencement.
2. Definitions.
3. Act not to apply to certain persons and premises.
4. Certain rights and privileges not to be affected.

CHAPTER-II

REGISTRATION AND ISSUE OF LABOUR IDENTIFICATION NUMBER

5. Registration of shops and establishment and issue of labour identification number.

CHAPTER-III

DUTIES OF EMPLOYER

6. Prohibition on discrimination against women workers.
7. Health and Safety of workers.
8. Working hours.
9. Wages for overtime.
10. Shifts and period of rest.

CHAPTER – IV
LEAVE AND HOLIDAYS

11. Annual, casual and sick leave and other holidays.

CHAPTER – V
WELFARE PROVISIONS

12. Drinking water.
13. Latrines and urinals.
14. Crèche facility.
15. First-Aid.
16. Canteen.

CHAPTER – VI
FACILITATORS AND THEIR POWERS AND FUNCTIONS

17. Appointment of Chief Facilitator, Facilitators and their powers.

CHAPTER – VII
RECORDS AND RETURNS

18. Maintenance of register and records.
19. Annual return.

CHAPTER – VIII
OFFENCES AND PENALTIES

20. Penalty for contravention of provisions of this Act.
21. Penalty for contravention of provisions of this Act which resulted in accident.
22. Penalty for obstruction, refusal to provide register, etc.
23. Cognizance of offences.
24. Compounding of offences.

CHAPTER – IX
MISCELLANEOUS

25. Protection of action taking in good faith.
26. Power to grant exemption.
27. Application of other laws not barred.
28. Power to make rules.
29. Power to remove difficulties.
30. Repeal and saving.

CHHATTISGARH ACT
(No. 21 of 2018)

THE CHHATTISGARH SHOPS AND ESTABLISHMENTS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND CONDITIONS OF SERVICE) ACT, 2017

An Act to consolidate and amend the laws relating to regulation of employment and other service conditions of workers employed in shops and establishments and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER – I
PRELIMINARY

Short title, extent, application and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2017.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall apply to the shops and establishments employing ten or more workers.

(4) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "**Chief Facilitator**" means the Chief Facilitator appointed under sub-section (1) of Section 17;

(b) "**Day**" means a period of twenty-four hours beginning at mid night;

(c) "**Employer**" means an owner or a person who has ultimate control over the affairs of a shop or an establishment, and includes,-

(i) in the case of a firm or association of individuals, a partner or member of the firm or association;

(ii) in the case of a company, a director of the company;

(iii) in the case of a shop or an establishment owned or controlled by the Central Government or the State Government or Local Authority, the person or persons appointed to manage the affairs of such shop or establishment by the Central Government or the State Government or Local Authority, as the case may be;

(d) "**Establishment**" means any premises, not being the premises of a factory or a shop,-

(i) wherein any trade, business, manufacture, or any work in connection with, or incidental or ancillary thereto, or any journalistic or printing work or business of banking, insurance, stocks and shares, brokerage or produce exchange, is carried on; or

(ii) which is used as theater, cinema or for any other public amusement or entertainment, to whom the provisions of the Factories Act, 1948 (No. 63 of 1948) does not apply;

(e) "**Notification**" means a notification published in the Official Gazette;

(f) **"Prescribed"** means prescribed by rules made under this Act;

(g) **"Shop"** means any premises where goods are sold, either by retail or wholesale or where services are rendered to customers and includes an office, a store-room, go-down, warehouse or workhouse or work place for distribution or packing or repacking of finished goods is carried on,but does not include a shop attached to a factory where persons employed in such shop are allowed the benefits provided under the Factories Act, 1948 (No. 63 of 1948);

(h) **"Wages"** means all remuneration (whether by way of salary, allowances or otherwise) expressed in terms of money or capable of being so expressed which would, if the terms of employment, express or implied, were fulfilled, be payable to a person employed in respect of his employment or of work done in such employment, and includes,-

(i) any remuneration payable under any award or settlement between the parties or under any order of a court or tribunal;

(ii) any remuneration to which the person employed is entitled in respect of overtime work or holidays or any leave period;

(iii) any additional remuneration payable under the terms of employment (whether called a bonus or by any other name);

(iv) any sum which by reason of the termination of employment of the person employed is payable under any law, contract or instrument which provides for the payment of such sum, whether with or without deductions;

(v) any sum to which the person employed is entitled under any scheme framed under any law, for the time being in force; and

(vi) house rent allowance,

but does not include,-

(A) any bonus, which does not form part of the remuneration payable under the terms of employment or which is not payable under any award or settlement between the parties or under any order of a court;

(B) the value of any accommodation, or of the supply of light, water, medical attendance or other amenity or of any service excluded from the computation of wages by a general or special order of the State Government;

(C) any contribution paid by the employer to any pension or provident fund, and the interest which may have accrued thereon;

(D) any travelling allowance or the value of any travelling concession;

(E) any sum paid to the employed person to defray special expenses entailed to him by the nature of his employment; or

any gratuity payable on the termination of employment in cases other than those specified in sub-clause (iv);

(i) **"Week"** means a period of seven days, beginning at midnight on Saturday night or such other night as may be approved in writing for a particular area by the Chief Facilitator;

(j) "**Worker**" means any person (except an apprentice under the Apprentice Act, 1961 (No. 52 of 1961)) employed to do any manual, unskilled, skilled, technical, operational or clerical work for hire or reward, whether the terms of employment be epress or implied.

Act not to apply to certain persons and premises.

3. (1) The provisions of this Act shall not apply to,-

(a) a worker occupying a position of confidential, managerial or supervisory character in a shop or in an establishment;

(b) a worker whose work is inherently intermittent;

(c) any office of the Government or the Local Authority;

(d) any office of the Reserve Bank of India;

(e) an establishment used for the care and treatment of the sick, infirm, destitute or mentally unfit; and

(f) a member of the family of an employer.

(2) A list of the workers referred to in clause (a) of sub-section (1) shall be displayed on the website of the shop or establishment and in absence of the website, at a conspicuous place in the shop or establishment and a copy thereof shall be sent to the Facilitator.

Certain rights and privileges not to be affected.

4. Nothing contained in this Act shall adversely affect any right or privilege to which any worker is entitled, under any law, award, agreement, contract, custom or usage for the time being in force.

CHAPTER-II
REGISTRATION AND ISSUE OF LABOUR IDENTIFICATION NUMBER.

Registration of shops and establishment and issue of Labour identification Number.

5. (1) On the commencement of this Act, every shop and establishment, employing ten or more workers, shall apply for registration within a period of six months from the date of such commencement or the date on which such shop or establishment comes into existence and obtain a Labour Identification Number.

(2) Every shop and establishment, employing ten or more workers, shall make an application for registration to such authority and in such form and manner as may be prescribed.

(3) The authority referred to in sub-section (2) shall, on receipt of an application under sub-section (2), register the shop or establishment and issue a Labour Identification Number in such form as may be prescribed.

(4) Notwithstanding anything contained in this section, the shops and establishments registered under the provisions of the Employees State Insurance Act, 1948 (No. 34 of 1948) or the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (No. 19 of 1952) or any rules, regulations or schemes made thereunder shall be deemed to be registered for the purposes of this Act:

Provided that such shops and establishments shall, within a period of six months from the commencement of this Act, obtain a Labour Identification Number in such manner as may be prescribed.

CHAPTER-III
DUTIES OF EMPLOYER

Prohibition on discrimination against women workers.

6. (1) No woman worker shall be discriminated against in matters concerning recruitment, training, transfers, promotions or wages.

(2) No woman shall be required or allowed to work in a shop or establishment except between 6 a.m. and 9 p.m.:

Provided that, where the State Government or any person, authorized by it in this behalf, is satisfied that the provision of shelter, rest room, night crèche, ladies' toilet, adequate protection of their dignity, honour and safety, protection from sexual harassment, and their transportation from the shop or establishment to the door step of their residence exists in such shop or establishment, it may, by notification, after obtaining the consent of the woman worker, allow her to work between 9 p.m. and 6 a.m., subject to such conditions as may be specified in the notification.

Health and safety of workers.

7. (1) Every employer shall take such measures relating to the health and safety (including cleanliness, lighting, ventilation and prevention of fire) of the workers as may be prescribed.

(2) Every employer shall be responsible for providing constant and adequate provisions relating to the health and safety of the workers employed in such shop or establishment and to ensure necessary steps given under sub-section (1) is taken to prevent the happening of any kind of accident.

Working hours.

8. (1) No adult worker shall be required or allowed to work continuously in a shop or establishment for more than forty-eight hours in a week and nine hours in a day, unless he has been given a break of not less than half an hour after every five hours:

Provided that, the working hours or weekly rest may be relaxed in case of work of urgent nature and with the previous permission of the Facilitator.

(2) The total number of hours of work in a shift including the rest interval shall not exceed ten and half hours in any shop or establishment and in case a worker is entrusted with intermittent nature of work or urgent work, the spread over shall not exceed twelve hours.

(3) Any working hour beyond nine hours a day or forty-eight hours a week shall be treated as overtime and the total number of overtime hours shall not exceed one hundred and twenty-five hours in a period of three months.

(4) The State Government shall make rules,-

(a) subject to sub-section (1), for fixing the number of hours of work which shall constitute a normal working day for the workers employed in the shop or establishment, inclusive of one or more specified intervals;

(b) for providing a day of rest in every period of seven days which shall be allowed to all the workers employed in the shop or establishment and for the payment of remuneration in respect of such days of rest.

(5) The provisions of sub-sections (1) and (2) shall, in relation to the following class of workers employed in such shop or establishment, apply only to such extent, and subject to such conditions, as may be prescribed, namely :-

(a) workers engaged on urgent work or in any emergency which could not have been foreseen or prevented;

(b) workers engaged in the nature of preparatory or complementary work which must necessarily be carried on outside the normal hours of work laid down in the rules;

(c) workers engaged in any work which for technical reasons has to be completed before the day is over;

(d) workers engaged in a work which cannot be carried on except at times dependent on the irregular action for natural forces; and

(e) highly skilled workers (such as workers working in the establishments of Information Technology, Bio-Technology and Research and Development Divisions).

Wages for overtime. 9. Where any worker is required to work on any day in excess of nine hours and forty-eight hours in a week, shall be entitled to wages at the rate of twice his ordinary rate of wages or such higher amount, as may be prescribed.

Shifts and period of rest. 10. (1) A department or any section of a department of the Shop or Establishment may work in more than one shift and the worker may be required to work in any shift at the discretion of the employer.

(2) A shop or an establishment may work on all days in a week subject to the condition that every worker shall be allowed weekly holiday of at least twenty-four consecutive hours of rest.

(3) If a worker is denied weekly holiday, the compensatory leave in lieu thereof shall be given within two months of such weekly holiday.

(4) The period and hours of work in a week for all classes of workers in such shift shall be informed to all workers in writing and shall be sent to the Facilitator electronically or otherwise.

(5) Where a worker is required to work on a day of rest, he shall be entitled to wages at the rate of twice his ordinary rate of wages.

CHAPTER-IV
LEAVE AND HOLIDAYS.

Annual, casual and sick leave and other holidays. 11. (1) Every worker shall be allowed a weekly holiday with wages:

Provided that the State Government may, by notification, fix different days as weekly holiday for different class of shops and establishments of a area.

(2) Every worker shall be entitled to eight days' casual leave with wages in every calendar year which shall be credited into the account of the worker on a quarterly basis.

(3) Every worker who has worked for a period of two hundred and forty days or more in a shop or establishment during a calendar year, shall be allowed during the subsequent calendar year, leave with wages for a number of days calculated at the rate of one day for every twenty days of work performed by him during the previous calendar year.

(4) Every worker shall be permitted to accumulate the earned leave upto a maximum of forty-five days.

(5) Where the employer refuses to sanction the leave due when applied fifteen days in advance, then the worker shall have a right to encash the leave in excess of forty-five days :

Provided that if a worker is entitled to leave under this section, is discharged by his employer before he has been allowed the leave, or if, having applied for and having been refused the leave, he quits his

employment on account of retirement, resignation, death or permanent disability, the employer shall pay him full wages for the period of leave due to him.

(6) A worker shall be entitled to eight paid festival holidays in a calendar year, namely, the Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti and five such other festival holidays as may be agreed between the employer and the workers, before the commencement of the year.

(7) For the purposes of sub-section (3),-

(a) any day of lay-off, by agreement or contract or as permissible under the standing order certified under the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 (No. 20 of 1946);

(b) in the case of a female worker, the maternity leave under the provisions of the Maternity Benefit Act, 1961 (No. 53 of 1961);

(c) the leave earned in the year prior to that in which the leave is availed; or

(d) the absence of the worker due to temporary disablement caused by accident arising out of and in the course of his employment,-

shall be deemed to be days on which the worker has worked in a shop or establishment for the purpose of computation of the period of two hundred and forty days or more, but shall not earn leave for these days.

(8) The leave admissible under sub-section (3) shall be exclusive of all holidays, whether occurring during or at either end of the period of leave.

CHAPTER-V
WELFARE PROVISIONS

Drinking water.

12. Every employer shall make sufficient arrangements to provide and maintain at suitable points, conveniently situated for all persons employed in the shop or establishment, a sufficient supply of wholesome drinking water.

Latrines and urinals.

13. Every employer shall provide sufficient latrine and urinal facilities for male and female as may be prescribed, which shall be so conveniently situated as may be accessible for the workers employed in the shop or establishment:

Provided that several employers may provide common facilities, in case it is not possible in a shop or establishment due to constraint in space or otherwise.

Crèche facility.

14. In every shop or establishment wherein thirty or more woman workers are employed or fifty or more workers are ordinarily employed, employer shall provide and maintain a suitable room or rooms as crèche for the use of children of such woman workers:

Provided that if a group of shops or establishments, so decide to provide a common crèche within a radius of one kilometer, then, the same shall be permitted by the Chief Facilitator, by an order, subject to such conditions as may be specified in the order.

First-Aid.

15. Every employer shall provide at the place of work first-aid facilities as may be prescribed.

Canteen.

16. The State Government shall require the employer to provide and maintain in the shop or establishment, wherein not less than one hundred worker are employed or ordinarily employed, to maintain a canteen for the use of its workers:

Provided that if a group of shops or establishments, so decide to provide a common canteen, then the same shall be permitted by the Chief Facilitator by an order, subject to such conditions as may be specified in the order.

CHAPTER-VI
FACILITATOR AND THEIR POWERS AND FUNCTIONS

Appointment of Chief Facilitator, Facilitators and their powers.

17. (1) The State Government may, by notification, appoint such persons who possess the prescribed qualification to be Facilitator for the purposes of this Act and may assign to them such local limits as it may think fit:

Provided that the State Government may, by notification, appoint a Chief Facilitator who shall, in addition to the powers conferred on him under this Act, exercise the powers of a Facilitator throughout the State.

(2) The State Government may prescribe a scheme for inspection of shops and establishments, which shall provide for generation of a web-based inspection schedule.

(3) Every Facilitator and Chief Facilitator appointed under sub-section (1) shall be deemed to be public servant within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code (No. 45 of 1860), and shall officially be subordinate to such Authority as the State Government may specify in this behalf.

(4) Subject to such conditions as may be prescribed, a Facilitator may, within the local limits for which he is appointed,-

(i) advice the employers and workers and provide them such information as may be considered necessary for complying with the provisions of this Act effectively;

(ii) inspect the shop or establishment in accordance with the scheme for inspection referred under sub-section (2), and may,-

(a) examine any person who is found in any premises of the shop or establishment and whom, the Facilitator has reasonable cause to believe, is a worker of the shop or establishment;

(b) require any person to give any information, which is in his power to give, with respect to the names and addresses of the persons;

(c) search, seize or take copies of such register, record of wages or notices or portions thereof as the Facilitator may consider relevant in respect of an offence under this Act and which the Facilitator has reason to believe has been committed by the employer;

(d) bring to the notice of the State Government defects or abuses not covered by the law for the time being in force; and

(e) exercise such other powers as may be prescribed:

Provided that no person shall be compelled under this section to answer any question or give any evidence that tends to incriminate himself.

(5) Any person required to produce any document or to give any information required by a Facilitator under sub-section (4) shall be deemed to be legally bound to do so within the meaning of Sections 175 and section 176 of the Indian Penal Code (No. 45 of 1860).

(6) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) shall, so far as may be, apply to the search or seizure under sub-clause (c) of clause (ii) of sub-section (4), as they apply to the search or seizure made under the authority of a warrant issued under Section 94 of the said Code.

CHAPTER VII
RECORDS AND RETURNS

Maintenance of register and records.

18. (1) Every employer shall maintain such registers and records as may be prescribed.

(2) The records may be maintained electronically or manually:

Provided that at the time of inspection by a Facilitator, a hard copy of such records if demanded, shall be submitted, duly signed by the employer.

Annual return.

19. Every employer of a shop or an establishment shall furnish an annual return, in such form and manner (including electronic form), to such authority as may be prescribed.

CHAPTER VIII
OFFENCES AND PENALITIES

Penalty for contravention of provision of this Act.

20. (1) Whoever contravenes with the provisions of this Act or the rules made thereunder shall be punishable with fine which may extend to two lakh rupees and in the case of a continuing contravention, with an additional fine which may extend to two thousand rupees for every day during which such contravention continues:

Provided that the total amount of fine shall not exceed two thousand rupees per worker employed.

(2) If any person has been convicted of any offence punishable under sub-section (1) is again guilty of an offence involving a contravention or failure of compliance of the same provision, he shall be punishable on a subsequent conviction with fine, which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to five lakh rupees.

Penalty for contravention of provisions of this Act which resulted in accident.

21. Save as otherwise expressly provided in this Act, where an employer on being held guilty of contravention of any of the provisions of this Act or any rules made thereunder, which has resulted in an accident causing serious bodily injury or death of a worker, shall be punishable with imprisonment which may extend to six months or with fine which shall not be less than two lakh rupees but which may be extended to five lakh rupees or with both.

Penalty for obstruction, refusal to provide register, etc.

22. (1) Whoever willfully obstructs a Facilitator in exercise of any power conferred on him by or under this Act or refuses or willfully neglects to afford the Facilitator any reasonable facility for making any inspection, examination, inquiry or investigation authorised by or under this Act in

relation to a shop or an establishment, shall be punishable with fine which may extend to two lakh rupees.

(2) Whoever willfully refuses to produce, on the demand by a Facilitator, any register or other document kept in pursuance of this Act or the rules made thereunder or prevents or attempts to prevent or does anything which he has reason to believe to prevent any person from appearing before, or being examined, by a Facilitator action in pursuance of his duties under this Act, shall be punishable with a fine which may extend to two lakh rupees:

Provided that the total amount of fine shall not exceed two thousand rupees per worker employed.

Cognizance of offences.

23. (1) No Court shall take cognizance of any offence punishable under this Act and the rules made thereunder, unless a complaint in respect thereof is made by the Facilitator within three months of the date on which the alleged commission of the offence came to the knowledge of the Facilitator:

Provided that where the offence consists of disobeying a written order made by a Facilitator, complaint thereof may be made within six months of the date on which the offence is alleged to have been committed.

(2) Court of Judicial Magistrate of the First Class shall try any offence punishable under this Act or the rules made thereunder.

Compounding of offences.

24. (1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), any offence punishable under this Act, not being an offence punishable with imprisonment alone, or with imprisonment and also with fine, may, on an application of the accused person, either before or after the institution of any prosecution, be compounded by a Gazetted officer, as the State Government may, by notification, specify, for a sum amounting to fifty percent of the maximum fine provided for such offence, in the manner as may be prescribed.

(2) Nothing contained in sub-section (1) shall apply to an offence committed by a person for the second time or thereafter within a period of five years from the date,-

(a) of commission of a similar offence which was earlier compounded;

(b) of commission of similar offence for which such person was earlier convicted.

(3) Every officer referred to in sub-section (1) shall exercise the powers to compound an offence, subject to the direction, control and supervision of the State Government.

(4) Every application for the compounding of an offence shall be made in such form and manner as may be prescribed.

(5) Where any offence is compounded before the institution of any prosecution, no prosecution shall be instituted in relation to such offence, against the offender in relation to whom the offence is so compounded.

(6) Where the composition of any offence is made after the institution of any prosecution, such composition shall be brought by the officer referred to in sub-section (1) in writing, to the notice of the Court in which the prosecution is pending and on such notice of the composition of the offence being given, the person against whom the offence is so compounded shall be discharged.

(7) Any person who fails to comply with the order made by the officer referred to in sub-section (1), shall be liable to pay a sum equivalent to twenty percent of the maximum fine provided for the offence, in addition to such fine.

(8) No offence punishable under the provisions of this Act shall be compounded except under and in accordance with the provisions of this section.

CHAPTER IX
MISCELLANEOUS

25. **Protection of action taken in good faith.**

No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any public servant or any other person in the service of the Central Government or the State Government, acting under direction of any such public servant, for anything done in good faith or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act or of any rule made thereunder.

26. **Power to grant exemption.**

The State Government or any officer empowered in this behalf may, by notification, exempt from the operation of all or any of the provisions of this Act for such period as it considers necessary, any shop or establishment or class thereof or any employer or worker or class of employers or workers to whom this Act applies on such terms and conditions as it may thinks fit.

27. **Application of other laws not barred.**

The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, the provisions of any other law for the time being in force.

28. **Power to make rules.**

(1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :-

(a) the authority to which and the form and manner in which an application shall be made under sub-section (2), the form of Labour Identification Number under sub-section (3), and the manner of obtaining Labour Identification Number under sub-section (4), of Section 5;

(b) the measures to be taken by the employer relating to the health and safety (including cleanliness, lighting, ventilation and prevention of fire) of the workers under sub-section (1) of Section 7;

(c) the matters to be provided by rules under sub-section (4) of Section 8;

(d) the conditions subject to which the provisions of sub-section (1) and sub-section (2) of Section 8 shall apply to certain class of workers under sub-section (5) of that Section;

(e) rate of higher amount of wages provided under Section 9;

(f) the provision for sufficient latrine and urinals given under Section 13 and the provision of first-aid facility given under Section 15;

(g) the qualifications of Facilitators provided under sub-section (1), conditions subject to which a Facilitator shall exercise his powers given under sub-section (4), and other powers exercisable by him given under sub-clause (e) of clause (ii) of sub-section (4), of Section 17;

(h) the registers and records to be maintained by the employers given under sub-section (1) of Section 18;

(i) the form and manner (including electronic form) for furnishing of annual return and the authority to such returns shall be furnished under Section 19;

(j) the manner of compounding of offences given under sub-section (1), and form and manner for making application for such compounding under sub-section (4), of Section 24;

(k) any other matter which is required to be, or may be, prescribed.

(3) Every rule made under sub-section (1) and (2) shall be laid before the State Legislative Assembly.

Power to remove difficulties.

29. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, published in the Official Gazette, make such provisions which are not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to be necessary for removing the difficulties:

Provided that no order shall be made under this Section after the expiry of two years from the date of the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislative Assembly.

Repeal and Saving.

30. (1) The Chhattisgarh Shops and Establishments Act, 1958 (No. 25 of 1958) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the Act under sub-section (1), anything done or any action taken under the Act so repealed shall, in so far as such thing or action is not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been done or taken under the provisions of this Act.

(3) The mention of particular matters in this section shall not be held to prejudice or affect the general application of Section 6 of the General Clauses Act,1897 (No. 10 of 1897) with regard to the effect of repeals.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 58] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 3 फरवरी 2022 — माघ 14, शक 1943

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 3 फरवरी 2022

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–12/2017/16.— छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 (क्र. 21 सन् 2018) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ के दुकान एवं स्थापना के प्रवर्तन तथा उसमें नियोजन एवं सेवा की शर्तो के विनियमन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

नियम

अध्याय–एक
प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम.**– ये नियम छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) नियम, 2021 कहलायेंगे।

2. **परिभाषाएं.**– (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 (क्र. 21 सन् 2018) ;

(ख) ''प्ररूप'' से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(ग) ''धारा'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;

(घ) ''शासन'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

(ड़) ''श्रम पहचान संख्या'' से अभिप्रेत है अधिनियम के अंतर्गत किसी दुकान एवं स्थापना के लिए जारी पंजीयन क्रमांक;

(च) ''प्रशमन अधिकारी'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 24 की उप–धारा (1) के अधीन राज्य शासन द्वारा अधिसूचित राजपत्रित श्रेणी का अधिकारी;

(छ) ''वर्ष'' से अभिप्रेत है कैलेण्डर वर्ष (जनवरी से दिसम्बर) ;

(ज) ''प्रबंधकीय'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन घोषित प्रबंधक;

(झ) ''गोपनीय कर्मकार'' से अभिप्रेत है ऐसा कर्मकार, जिसे अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन गोपनीय कर्मकार के रूप में घोषित किया गया हो;

(ञ) ''पर्यवेक्षण कर्मकार'' से अभिप्रेत है ऐसा कर्मकार, जिसे अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन पर्यवेक्षण कर्मकार के रूप में घोषित किया गया हो;

(ट) ''अनिरंतर सेवा'' से अभिप्रेत है ऐसी सेवा, जो किसी दुकान अथवा स्थापना में किसी व्यक्ति से सप्ताह, पाक्षिक अथवा माह में एक या दो बार ली जाती हो किन्तु जो वर्ष में 45 दिन से अधिक न हो;

(ठ) ''कुटुम्ब'' से अभिप्रेत है किसी नियोजक के माता–पिता, पति–पत्नी, पुत्र–पुत्री एवं भाई–बहन, जो ऐसे नियोजक के साथ रहते हो या उस पर आश्रित हो;

(ड) ''स्थानीय प्राधिकारी कार्यालय'' से अभिप्रेत है नगरीय या पंचायत निकाय अथवा शासन द्वारा या किसी अधिनियम के अधीन गठित निगम/मंडल कार्यालय।

(ढ) ''फैसिलिटेटर'' से अभिप्रेत हैं अधिनियम के अंतर्गत धारा–17 की उप धारा (1) के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी।

(2) शब्द और अभिव्यक्तियां, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित है।

अध्याय–दो
श्रम पहचान संख्या

3. **श्रम पहचान संख्या हेतु आवेदन एवं शुल्क**.– (1) अधिनियम की धारा 5 की उप–धारा (2) के अधीन छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग के वेब पोर्टल में आवश्यक दस्तावेजों सहित प्ररूप–एक में ऐसी दुकान एवं स्थापना के प्रारम्भ होने की तिथि से छः माह की कालावधि के भीतर पंजीयन हेतु नियोजक इलेक्ट्रॉनिक रूप में आवेदन करेगा। शुल्क निम्नानुसार विहित रूप में ई–चालान के माध्यम से ऑनलाईन जमा किये जा सकेंगे :–

स.क्र.	स्थापनाओं का वर्गीकरण	निर्धारित शुल्क
1.	10 से 50 कर्मचारी नियोजित करने वाली स्थापना	रू. 1000/–
2.	51 से 100 कर्मचारी नियोजित करने वाली स्थापना	रू. 3000/–
3.	101 से 200 कर्मचारी नियोजित करने वाली स्थापना	रू. 5,000/–
4.	201 से 500 कर्मचारी नियोजित करने वाली स्थापना	रू. 7,000/–
5.	500 से अधिक कर्मचारी नियोजित करने वाली स्थापना	रू. 10,000/–

(2) ऐसी दुकान एवं स्थापना के प्रारंभ होने की तिथि के छः माह की कालावधि अवसान के पश्चात् श्रम पहचान संख्या हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर श्रम पहचान संख्या हेतु निर्धारित शुल्क का 25 प्रतिशत विलंब शुल्क ऑनलाईन देय होगा।

(3) राज्य शासन, समय–समय पर, अधिसूचना द्वारा पंजीयन शुल्क, विलंब शुल्क एवं संशोधन शुल्क हेतु निर्धारित दर में परिवर्तन कर सकेगा।

(4) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का सं. 34) अथवा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का सं. 19) अथवा इसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या योजनाओं के प्रावधानों के अधीन पंजीकृत दुकानों और स्थापनाओं को अधिनियम के लागू होने के छः माह की कालावधि के भीतर श्रम पहचान संख्या, नियम 3 के उप–नियम (1) के अधीन प्राप्त करने हेतु प्ररूप–1 में, श्रम विभाग के पोर्टल में ऑनलाईन आवेदन करेगा, किन्तु ऐसे दुकान/स्थापना के द्वारा कोई पंजीयन शुल्क देय नहीं होगा।

4. **श्रम पहचान संख्या का पंजीयन प्रमाण पत्र**.– (1) दुकान/स्थापना द्वारा निर्धारित प्ररूप में दस्तावेज सहित ऑनलाईन प्राप्त आवेदन का स्थानीय क्षेत्र के फैसिलिटेटर द्वारा परीक्षण किया जायेगा। आवेदन सही पाये जाने पर 15 कार्य दिवस के भीतर फैसिलिटेटर द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र ऑनलाईन डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किया जायेगा।

तथापि, यदि आवेदन के 15 कार्य दिवस के भीतर दुकान एवं स्थापना के आवेदन में कोई निर्णय फैसिलिटेटर द्वारा नहीं लिये जाने पर दुकान एवं स्थापना का श्रम पहचान संख्या स्वमेव स्वीकृत मान्य करते हुए वेब पोर्टल से जारी हो जायेगा।

(2) धारा 5 की उप–धारा (2) के तहत प्राप्त आवेदन के आधार पर स्थापना को ऑनलाईन श्रम पहचान संख्या संबंधी प्रमाण पत्र डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त प्ररूप–2 में जारी कर श्रम विभाग के पोर्टल में अपलोड करेगा एवं फैसिलिटेटर द्वारा जारी श्रम पहचान पत्र के संबंध में दुकान एवं स्थापनाओं की पंजी प्ररूप–3 में ऑनलाईन श्रम विभाग के पोर्टल में फैसिलिटेटर कार्यालय द्वारा संधारित की जायेगी।

(3) नियोजक द्वारा प्रस्तुत आवेदन/दस्तावेज में फैसिलिटेटर द्वारा कोई कमी पायी जाती है, तो 15 दिवस में उन कमियों को ऑनलाईन इंद्राज कर कारण सहित कमियों की पूर्ति हेतु नियोजक को सात कार्य दिवस का अवसर प्रदान करेगा।

(4) दुकान एवं स्थापना के नियोजक द्वारा सात दिवस के भीतर कमियों को पूर्ण करने पर आगामी सात दिवस में फैसिलिटेटर, श्रम पहचान संख्या संबंधी पंजीयन प्रमाण–पत्र ऑनलाईन डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त जारी कर श्रम विभाग के वेब पोर्टल में अपलोड करेगा।

(5) प्रत्येक दुकान एवं स्थापना के नियोजक का यह दायित्व होगा कि दुकान एंव स्थापना के साईन बोर्ड में दुकान एवं स्थापना के नाम के अतिरिक्त श्रम पहचान संख्या आवश्यक रूप से प्रदर्शित करेगा, जो सुलभ पठनीय हो।

5. **श्रम पहचान संख्या संशोधन/परिवर्तन सूचना** .– (1) श्रम पहचान संख्या प्रमाण पत्र में नियोजक/भागीदार का नाम एवं पता, कर्मकार की संख्या, दुकान या स्थापना का पता, कार्य का स्वरूप इत्यादि में परिवर्तन की सूचना हेतु संशोधन आवेदन, प्ररूप–4 में संशोधन शुल्क रूपये 100 (सौ रूपये) के ई–चालान से भुगतान कर, संबंधित दस्तावेज सहित श्रम विभाग के वेब पोर्टल में ऑनलाईन प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) दुकान/स्थापना द्वारा प्रस्तुत निर्धारित प्ररूप में संबंधित दस्तावेजों सहित ऑनलाईन प्राप्त संशोधन आवेदन का स्थानीय क्षेत्र के फैसिलिटेटर द्वारा परीक्षण किया जायेगा। आवेदन सही पाये जाने पर श्रम पहचान संख्या पंजीयन प्रमाण पत्र डिजिटल हस्ताक्षर के साथ जारी कर, श्रम विभाग के वेब पोर्टल में 15 कार्य दिवस के भीतर अपलोड किया जायेगा।

(3) दुकान/स्थापना द्वारा प्रस्तुत संशोधन आवेदन/दस्तावेज में फैसिलिटेटर द्वारा कमी/त्रुटिपूर्ण अथवा विधि विरूद्ध पाई जाती है, तो 15 दिवस में ऑनलाईन उन कमियों/ त्रुटियों को इंद्राज कर कारण सहित कमियों की पूर्ति हेतु नियोजक को 7 कार्य दिवस का अवसर प्रदान करेगा एवं कमियों की पूर्ति किये जाने पर आवश्यक संशोधन किया जायेगा। यदि संशोधन किया जाना नियमानुसार नहीं पाया जाता है तो उसको कारण सहित श्रम विभाग के वेब पोर्टल में ऑनलाईन संसूचित किया जायेगा।

6. **दुकान एवं स्थापना के बंदीकरण की सूचना** .– दुकान/स्थापना बंद किये जाने की तिथि से एक माह के भीतर नियोजक/भागीदार द्वारा फैसिलिटेटर को प्ररूप–5 में श्रम विभाग के वेब पोर्टल में ऑनलाईन सूचना देगा। उक्त सूचना प्राप्त होने पर, फैसिलिटेटर द्वारा स्थापना पंजी में तत्संबंधी इंद्राज करेगा।

अध्याय–तीन
नियोजक के कर्त्तव्य

7. **रात्रि पाली में महिला कर्मकारों का नियोजन एवं शर्तें** .– किसी दुकान या स्थापना या नियोजकों के वर्गो जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, में महिला कर्मकार को रात्रि 09:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक नियोजन की आवश्यकता हो तो निर्धारित प्ररूप–6 में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा, राज्य शासन अथवा राज्य शासन द्वारा नियुक्त मुख्य फैसिलिटेटर के द्वारा समाधान हो जाने पर, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन अधिसूचना द्वारा अनुमति प्रदान किया जायेगा :–

(1) रात्रिकालीन नियोजन हेतु महिला कर्मकार की सहमति प्ररूप–7 में लिया जाना आवश्यक होगा।

(2) दुकान/स्थापना या उसके किसी विभाग/शाखा में रात्रि पाली में कम से कम 03 महिला कर्मचारी का नियोजन किया जाना आवश्यक होगा।

(3) रात्रि पाली में नियोजित महिला कर्मकारों को कार्यस्थल में लाने एवं उनके निवास तक सुरक्षित रूप से पहुंचाने हेतु सुरक्षा गार्ड के साथ समुचित वाहन व्यवस्था की जायेगी। पुलिस द्वारा सत्यापित वाहन, वाहन चालक एवं सुरक्षा गार्ड का विवरण इत्यादि तथा अन्य अपेक्षित जानकारी नियोजक द्वारा रखा जायेगा।

(4) प्रत्येक नियोजक, महिला कर्मकारों हेतु एक शिकायत पेटी रखेगा।

(5) प्रत्येक नियोजक, दुकान/स्थापना के सहजगोचर स्थान पर स्थानीय पुलिस थाना, पुलिस कंट्रोल रूम एवं महिला सहायता केन्द्र का फोन नंबर प्रदर्शित करेगा।

(6) प्रत्येक नियोजक अथवा नियोजकों के समूह द्वारा दुकान/स्थापना में महिला कर्मियों के लिए पृथक से मूत्रालय एवं शौचालय की व्यवस्था की जायेगी, जिसके दरवाजे में केवल अंदर की ओर से सुरक्षा सिटकनी की व्यवस्था होगी। शौचालय, विश्रामकक्ष और पेयजल की सुविधा कार्यस्थल के भीतर होनी चाहिए जहां ऐसी महिला कर्मचारी नियोजित हों।

(7) महिला कर्मचारियों के कार्यस्थल में प्रवेश और निकास में अच्छी रोशनी होनी चाहिए।

(8) महिला कर्मचारियों के लिए पर्याप्त आश्रय, विश्राम कक्ष और रात्रि शिशु गृह की व्यवस्था करना।

(9) किसी महिला को सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 (2020 की संख्या 36) के तहत निर्धारित मातृत्व हितलाभ प्रावधानों के विरूद्ध नियोजित नहीं किया जाएगा।

8. **कर्मकारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं स्वच्छता** .– (1) धारा 7 की उप–धारा (1) के अधीन प्रत्येक दुकान एवं स्थापना में समुचित साफ–सफाई रखते हुए पुताई एवं पेंटिंग का कार्य प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में करना सुनिश्चित करेगा।

(2) प्रत्येक दुकान एवं स्थापना या किसी परिसर, जिसमें आभूषणों की सफाई/धुलाई की प्रक्रिया अम्लों की सहायता से की जाती हो, में पर्याप्त जल निकास की व्यवस्था किया जाएगा और वह बहकर विशेष उपचार टंकियों में जाएगा, जहां साधारण जल–निकासी (नालियों) में इसके निस्तारण से पूर्व, हानिकारक पदार्थ को निष्प्रभावी या अन्यथा सुरक्षित किया जाएगा।

(3) किसी दुकान एवं स्थापना में, किसी परिसर पर कमरों या भवनों में, जहां खतरनाक गैस, वाष्प, धुआं या धूल आती हो, वहां पूरे समय पर्याप्त संवातन का उपबंध एवं अनुरक्षण किया जाएगा।

(4) प्रत्येक दुकान एवं स्थापना या किसी परिसर में, जिसमें व्यक्ति ऐसी प्रक्रियाओं में नियोजित है, जहां खतरनाक गैस, वाष्प, धुआं या धूल आती हो, तो उपयुक्त संरक्षात्मक साधनों जैसे दस्ताने, जूते, श्वसन मास्क, चश्में आदि नियोजित व्यक्तियों/कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) प्रत्येक दुकान एवं स्थापना या किसी परिसर में, आभूषणों की सफाई/धुलाई की प्रक्रिया अम्लों की सहायता से की जाती है, वहां नियोजित प्रत्येक व्यक्ति का, उसके प्रथम नियोजन के 15 दिनों के भीतर न्यूनतम एम.बी. बी.एस. डिग्रीधारी चिकित्सक द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण किया जाएगा और तत्पश्चात् 6 माह से अनधिक के अंतरालों पर पुनः परीक्षण कराया जायेगा एवं ऐसे चिकित्सकीय परीक्षण के अभिलेख का संधारण प्रत्येक कर्मचारी के संदर्भ में किया जायेगा तथा श्रम विभाग के वेब पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

(6) कोई भी व्यक्ति किसी भी दुकान एवं स्थापना में किसी ज्वलनशील सामग्री के समीप न तो धूम्रपान करेगा और न किसी अनावृत्त प्रकाश को उपयोग में लाएगा और न किसी ऐसे प्रकाश का उपयोग कराएगा, न उसके उपयोग की अनुज्ञा देगा।

(7) प्रत्येक दुकान एवं स्थापना या परिसर में पर्याप्त प्रकाश, हवा के साथ–साथ स्वास्थ्य अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) प्रत्येक दुकान/स्थापना एवं परिसर में, जहां कि कर्मकारों से लगातार खड़े होकर कार्य की अपेक्षा की जाती हो वहां प्रत्येक कर्मकार के लिए पृथक से बैठने की आवश्यक व्यवस्था नियोजक द्वारा की जायेगी, जिससे कि कर्मकार नियत अन्तराल में आवश्यकतानुरूप बैठ सके।

(9) प्रत्येक नियोजक दुकान एवं स्थापना में अग्नि से सुरक्षा संबंधी समुचित प्रावधान का पालन करेगा।

9. **महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम हेतु दिशा निर्देश**.– महिला कर्मकारों के नियोजन की स्थिति में, नियोजक द्वारा, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 14) के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

10. **शौचालय एवं प्रसाधन की सुविधा**.– प्रत्येक नियोजक अथवा नियोजकों के समूह द्वारा दुकानों एवं स्थापनाओं में कार्यरत महिला एवं पुरूष कर्मचारियों हेतु पर्याप्त संख्या में पृथक–पृथक शौचालय/प्रसाधन की व्यवस्था सामूहिक रूप से की जा सकेगी। शौचालय एवं प्रसाधन कक्ष, महिलाओं के उपयोग हेतु सुरक्षित होना अनिवार्य है। वायु का संवहन, पर्याप्त बिजली, पानी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है।

11. **प्राथमिक उपचार**.– (1) प्रत्येक नियोजक द्वारा दुकान एवं स्थापना में कार्यरत कर्मकारों हेतु आसानी से पहुंच योग्य स्थान पर प्राथमिक उपचार पेटी आवश्यक प्रथमोपचार सामग्री सहित रखी जायेगी। प्राथमिक उपचार पेटी में, स्पष्ट रूप से सफेद पृष्ठभूमि पर लाल चिन्ह (रेडक्रास) बना हुआ होगा।

(2) ऐसे दुकान एवं स्थापना, जहां नियोजित कर्मकारों की संख्या 50 तक है, वहां नियोजक द्वारा कर्मकारों के प्राथमिक उपचार हेतु अपने संस्थान में नियोजित प्रत्येक पाली में 02 कर्मकारों को प्राथमिक उपचार हेतु प्रशिक्षित किया जाना अनिवार्य होगा। इसी अनुपात में, 50 से अधिक कर्मकारों के नियोजन की स्थिति में प्राथमिक उपचार के लिए 2–2 कर्मकारों को प्रति पाली प्रशिक्षित किया जाना अनिवार्य होगा।

(3) ऐसे दुकान एवं स्थापना जहां नियोजित कर्मकारों की संख्या 200 या 200 से अधिक होगी उन्हें कार्य अवधि के दौरान कर्मकारों के प्राथमिक उपचार हेतु आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यस्थल के समीप के किसी एक चिकित्सक को नियोजक द्वारा अनुबंधित किया जायेगा, जिसकी जानकारी (चिकित्सक का नाम, शैक्षणिक योग्यता, पता एवं दूरभाष नंबर) दुकान एवं स्थापना के प्रत्येक विभाग/शाखा के सूचना पटल में अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही निकटतम शासकीय/निजी एम्बुलेंस सेवा का विवरण संसूचित किया जाना भी अनिवार्य होगा।

अध्याय–चार
कार्य के घण्टे, विश्राम अवधि, साप्ताहिक अवकाश एवं अधिसमय

12. कार्य के घण्टे, विश्राम की अवधि एवं साप्ताहिक अवकाश.– (1) दुकान एवं स्थापनाओं के विभिन्न श्रेणियों की आवश्यकतानुसार, समय–समय पर, मुख्य फैसिलिटेटर सामान्य कार्य दिवस एवं क्षेत्रवार स्थापनाओं में कार्यरत कर्मकारों के लिए साप्ताहिक एक सवैतनिक विश्राम दिवस, अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगा।

(2) कर्मकार को साप्ताहिक अवकाश का भुगतान कर्मकार के साप्ताहिक अथवा मासिक भुगतान के साथ देय होगा।

(3) प्रत्येक नियोजक, कर्मकारों के कार्य के घण्टे, विश्राम की अवधि, साप्ताहिक अवकाश एवं एक से अधिक पारी में कार्य करने की सूचना कार्यस्थल में प्ररूप–8 में प्रदर्शित करने के साथ–साथ श्रम विभाग के वेब पोर्टल में ऑनलाईन जानकारी फैसिलिटेटर को भी उपलब्ध करायेगा।

13. अधिसमय.– अधिनियम की धारा 8 की उप–धारा (1) एवं (2) के प्रावधान उप–धारा (5) में उल्लेखित श्रेणी के दुकानों एवं स्थापनाओं में नियोजित कर्मकारों के लिये निम्नांकित शर्तों एवं सीमा के अध्यधीन लागू होंगेः–

(1) प्रत्येक नियोजक विशिष्ट परिस्थितियों में 9 घण्टे से अधिक, कर्मकार से कार्य करवाने अथवा साप्ताहिक अवकाश दिवस में कर्मकार से कार्य करवाने हेतु फैसिलिटेटर से प्ररूप–9 में अनुमति हेतु श्रम विभाग के वेब पोर्टल में ऑनलाईन आवेदन करेगा, जिसमें फैसिलिटेटर परीक्षण उपरांत, संतुष्ट होने पर, कार्य के घण्टे या साप्ताहिक विश्राम को शिथिल करने की अनुमति ऑनलाईन देगा।

(2) कोई भी नियोजक, किसी कर्मकार से एक दिन में 12 घण्टे से अधिक किसी भी परिस्थिति में कार्य नहीं लेगा, जिसमें कर्मकार को विश्राम हेतु कम से कम 2 अंतराल, जो कि आधे–आधे घण्टे से कम नहीं होंगे तथा अधिनियम की धारा 8 की उप–धारा (3) के अनुसार किसी भी परिस्थिति में 3 माह की अवधि में 125 घण्टे से अधिक अधिसमय नहीं ले सकेगा तथा सप्ताह में अधिसमय की अवधि 12 घण्टे से अधिक नहीं होगी।

(3) फैसिलिटेटर की अनुमति से साप्ताहिक अवकाश दिवस में कार्य करने वाले कर्मकारों को, साप्ताहिक अवकाश दिवस हेतु दोगुना वेतन भुगतान किया जायेगा एवं किसी अन्य कार्य दिवस में साप्ताहिक अवकाश की प्रतिपूर्ति, 30 दिवस के भीतर प्रदाय किया जायेगा।

(4) किसी कर्मकार से किसी दिन 9 घण्टे अथवा सप्ताह में 48 घण्टे से अधिक कार्य करने की अपेक्षा की जाती है तो उसे प्राप्त होने वाले सामान्य वेतन से दुगूने दर से वेतन देय होगा अथवा आवश्यक होने पर अधिसमय हेतु देय उच्चतम वेतन (मजदूरी) का निर्धारण, समय–समय पर मुख्य फैसिलिटेटर अधिसूचना द्वारा, कर सकेगा।

अध्याय–पांच
फैसिलिटेटर की नियुक्ति, अर्हताएं तथा कर्तव्य

14. मुख्य फैसिलिटेटर/फैसिलिटेटर की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियां.– (1) अधिनियम के प्रयोजन के लिये, राज्य शासन द्वारा नियुक्त श्रमायुक्त ही मुख्य फैसिलिटेटर होंगे।

(2) इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सहायक श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी, सहायक श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षक एवं श्रम उप निरीक्षक, मुख्य फैसिलिटेटर के निर्देश के अधीन श्रम पहचान संख्या प्रमाण पत्र जारी करने एवं अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करवाने हेतु, स्थानीय सीमाओं के भीतर फैसिलिटेटर होंगे।

(3) फैसिलिटेटर की अर्हताएं.–

(क) कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन फेसिलिटेटर के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह हिन्दी बोलने, पढ़ने तथा लिखने के योग्य न हों और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक न हो या ऐसा मेट्रीक्यूलेट न हो, जो शासन के अधीन कम से कम सात वर्ष की सेवा का अनुभव रखता हो।

(ख) कोई भी व्यक्ति, अधिनियम के अधीन फेसिलिटेटर के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा अथवा इस प्रकार नियुक्त किये जाने पर पद धारण करना जारी नहीं रखेगा, यदि वह उस क्षेत्र की, जिसके लिए वह नियुक्त

किया जाने वाला हो या नियुक्त किया जा चुका हो, किसी ऐसी दुकान/स्थापना में, जिसे अधिनियम लागू होता हो, कोई अंश या हित रखता हो अथवा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं या किसी साझेदार द्वारा कोई अंश या हित अर्जित करता हो।

15. **मुख्य फैसिलिटेटर एवं फैसिलिटेटर के कर्त्तव्य.**– फैसिलिटेटर, इस अधिनियम की धारा 17 के अधीन निरीक्षण करते समय अपना यह समाधान करने के प्रयोजन के लिए कि अधिनियम तथा इन नियमों के उपबन्धों का और अधिनियम के अधीन राज्य शासन द्वारा नियुक्त मुख्य फैसिलिटेटर द्वारा दिए गए आदेशों का सम्यक्रूपेण पालन किया जाता है, निम्नलिखित तथ्यों को अभिनिश्चित करेगाः–

(1) कि दुकान/स्थापनाएं, अधिनियम के अनुसार पंजीकृत है तथा श्रम पहचान संख्या प्रमाणपत्र धारी है;

(2) अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत समय–समय पर राज्य शासन अथवा मुख्य फैसिलिटेटर द्वारा जारी अधिसूचना/निर्देश का पालन सुनिश्चित करवायेगा;

(3) फैसिलिटेटर का यह दायित्व होगा कि वह दैनंदिनी संधारित करें एवं मांगे जाने पर मुख्य फैसिलिटेटर को उपलब्ध कराये तथा कम–से–कम माह में एक बार कार्यालय प्रमुख के अवलोकन हेतु प्रस्तुत करेगा;

(4) मुख्य फैसिलिटेटर के निर्देश पर रेण्डम पद्धति अथवा मुख्य फैसिलिटेटर द्वारा विहित अन्य पद्धति से फैसिलिटेटर द्वारा निरीक्षण किया जायेगा;

(5) प्रत्येक फैसिलिटेटर का यह दायित्व होगा कि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले स्थापनाओं के प्रकरण, जो न्यायालय को प्रेषित किये गये हो अथवा प्रशमन हेतु प्रस्तुत किये गये हो, प्रकरणवार पंजी/नस्ती इलेक्ट्रॉनिक रूप में संधारित करे;

(6) प्रशमन अधिकारी द्वारा जारी नोटिस पत्र/आदेश, संबंधित दुकान एवं स्थापनाओं के नियोजकों को पंजीकृत डाक/ऑनलाईन पोर्टल/ई–मेल अथवा अन्य माध्यम से दिया जा सकेगा। प्रशमन अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि दोषी दुकान एवं स्थापना के नियोजक द्वारा निर्देश के अनुरूप प्रशमन राशि जमा किया जाये, किंतु यदि दोषी दुकान एवं स्थापना के नियोजक द्वारा प्रशमन राशि जमा नहीं किये जाने पर, फैसिलिटेटर, प्रशमन अधिकारी के आदेश पर, नियमानुसार न्यायालय में अभियोजन दायर करना सुनिश्चित करेगा;

(7) फैसिलिटेटर का यह दायित्व होगा कि अधिनियम के प्रावधानों एवं समय–समय पर शासन द्वारा जारी अधिसूचनाओं से नियोजकों/संचालकों को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से प्रभावी अनुपालन हेतु उपलब्ध करायेगा एवं स्थापनाओं में कार्यरत कर्मचारियों के अधिकार संबंधी जानकारी/निर्देशों को सूचना पटल में संसूचित करने हेतु नियोजकों एवं संचालको को निर्देश दे सकेगा;

(8) मुख्य फैसिलिटेटर द्वारा यथा अधिसूचित फैसिलिटेटर स्थानीय सीमाओं के भीतर संस्थान में कार्यरत कर्मकारों के लिए अधिनियम में प्रावधानित सुविधाओं यथा अवकाश, अधिसमय, स्वास्थ्य सुरक्षा, सेवा पृथक्कीरण, वेतन भुगतान, उपादान भुगतान इत्यादि के संबंध में प्राप्त शिकायतों की सुनवाई कर, नियोजक को निर्देश दे सकेगा एवं नियोजक द्वारा पालन नहीं करने पर, सक्षम न्यायालय को संदर्भित कर सकेगा;

अध्याय–छः
पंजी तथा अभिलेखों का संधारण

16. **पंजी तथा अभिलेख का संधारण.**– (1) प्रत्येक नियोजक, दुकान एवं स्थापना में कर्मकार को नियोजित करने पर नियुक्ति पत्र प्रदाय करने के साथ–साथ प्ररूप–10 में प्रत्येक कर्मकार को पहचान पत्र उपलब्ध करायेगा।

(2) प्रत्येक नियोजक, दुकान एवं स्थापना में नियोजित कर्मकारों की उपस्थिति हेतु निर्धारित प्ररूप–11 में इलेक्ट्रॉनिक अथवा हार्डकॉपी में उपस्थिति पंजी संधारित करेगा।

(3) प्रत्येक नियोजक, नियोजित कर्मकारों के वेतन भुगतान, अधिसमय, जुर्माना, कटौत्रा के संबंध में निर्धारित प्ररूप–12 में इलेक्ट्रॉनिक रूप में अथवा हार्डकॉपी में वेतन पंजी संधारित करेगा।

(4) नियोजक द्वारा कर्मकारों के मस्टर रोल, वेतन पंजी, अधिसमय, जुर्माना एवं कटौत्रा संबंधी अभिलेख संधारण की आवश्यकता नहीं होगी यदि नियोजक कर्मकारों से संबंधित उक्त अभिलेख व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशायें (छत्तीसगढ़) नियम 2021 एवं मजदूरी संहिता (छत्तीसगढ़) नियम 2021 के दिये गये प्ररूप में संधारित करता हो।

(5) प्रत्येक नियोजक, नियोजित कर्मकारों के साप्ताहिक अवकाश, चिकित्सकीय अवकाश, आकस्मिक अवकाश एवं अर्जित अवकाश संबंधी पंजी प्ररूप–13 में इलेक्ट्रोनिक रूप में अथवा हार्डकॉपी में संधारित करेगा।

17. **वार्षिक विवरणी.**– प्रत्येक नियोजक, निर्धारित प्ररूप–14 में जनवरी से दिसम्बर तक की वार्षिक विवरणी वर्ष की समाप्ति के 45 दिवस के भीतर प्रतिवर्ष, श्रम विभाग के वेब पोर्टल में ऑनलाईन अपलोड करेगा एवं निरीक्षण के दौरान फैसिलिटेटर के मांगे जाने पर प्रिंट कॉपी उपलब्ध करायी जायेगी।

अध्याय–सात
अपराधों का प्रशमन

18. अपराधों का प्रशमन.– (1) अपराधों के प्रशमन के लिए नियोजक द्वारा प्ररूप–15 में आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) प्रशमन अधिकारी द्वारा प्रशमन हेतु प्राप्त प्रकरणों के संबंध में प्ररूप–16 में रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक रूप में संधारित किया जायेगा।

(3) प्रशमन अधिकारी के रूप में सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम पदाधिकारी अपने क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत अथवा राज्य शासन द्वारा नियुक्त मुख्य फैसिलिटेटर द्वारा निर्देशित स्थानीय क्षेत्र में कार्य करेगा।

(4) नियोजक द्वारा फैसिलिटेटर के समक्ष प्रशमन अपराधों के लिये निर्धारित प्ररूप में आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

(5) प्रशमन अधिकारी, निर्धारित प्ररूप में प्रशमन हेतु आवेदन प्राप्त होने पर, आवेदन एवं आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों का परिशीलन करेगा, तदुपरांत 7 दिवस के भीतर प्रशमन आदेश, पारित करेगा।

(6) प्रशमन अधिकारी, अधिनियम एवं इन नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले नियोजकों के विरूद्ध, नियोजक के आवेदन पर, प्रशमन की कार्यवाही प्रारंभ कर सकेगा, अधिनियम के अतंर्गत दंडनीय ऐसे अपराध, जो मात्र कारावास से या कारावास और जुर्माने से दंडनीय हो, के लिए प्रशमन की कार्यवाही नहीं कर सकेगा।

(7) प्रशमन अधिकारी, फैसिलिटेटर एवं नियोजक को 7 कार्य दिवस में प्रशमन आदेश उपलब्ध करायेगा। प्रशमन आदेश की प्राप्ति के 7 कार्य दिवस के भीतर प्रशमन राशि, दोषी नियोजक द्वारा जमा किया जावेगा। दोषी नियोजक द्वारा प्रशमन राशि, ई–चालान के माध्यम से जमा किया जायेगा।

(8) निर्धारित अवधि में प्रशमन राशि जमा नही किये जाने की स्थिति में प्रकरण, अधिनियम की धारा 23 में अधिकृत न्यायालय को संदर्भित किया जा सकेगा।

(9) जहां किसी अपराध का प्रशमन किसी अभियोजन के संस्थापित होने के बाद की जाती है, वहां ऐसा प्रशमन, प्रशमन अधिकारी द्वारा तत्काल न्यायालय के संज्ञान में लाया जाएगा जिसमें अभियोजन लम्बित है।

अध्याय–आठ
विविध

19. छूट देने की शक्ति.– राज्य शासन अथवा राज्य शासन द्वारा नियुक्त मुख्य फेसिलिटेटर अधिसूचना द्वारा, किसी दुकान या स्थापना या किसी वर्ग या किसी कर्मचारी या नियोजकों या कर्मचारियों के किसी वर्ग, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, के द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर अथवा स्वमेव समुचित कारणों के आधार पर, ऐसे निबंधन एवं शर्तों पर, जैसा कि वह उचित समझे, ऐसी कालावधि, जैसा कि आवश्यक हो, के लिए इस अधिनियम के समस्त या किसी प्रावधानों से छूट दे सकेगा।

20. विविध.– (1) यदि कोई दुकान एवं स्थापना, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का सं. 34) अथवा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का सं. 19) अथवा इसके अधीन बनाये गये किन्ही नियमों, विनियमों या योजनाओं के प्रावधान के अधीन पंजीकृत है, तो उसे अधिनियम की धारा 5 एवं नियम 3 के तहत छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा शर्तो का विनियमन) नियम, 2021 के राजपत्र में प्रकाशन तिथि के छः माह के भीतर श्रम पहचान संख्या हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर कोई पंजीयन शुल्क देय नहीं होगा, किन्तु छः माह के अवधि के पश्चात संबंधित संस्थाओं द्वारा श्रम पहचान संख्या हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर नियमानुसार शुल्क ई–चालान के माध्यम से जमा किया जाना आवश्यक होगा।

(2) छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के तहत पूर्व से पंजीकृत दुकान/स्थापनाएं, जो नियमानुसार समय–समय पर नवीनीकरण करवाकर वैध पंजीयन प्राप्तकर्ता है जिन पर छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 प्रभावशील है, के द्वारा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2021 के राजपत्र में प्रकाशन तिथि के छः माह के भीतर श्रम पहचान संख्या हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर कोई पंजीयन शुल्क देय नहीं होगा, किन्तु छः माह के अवधि के पश्चात संबंधित संस्थाओं द्वारा श्रम पहचान संख्या हेतु प्ररूप–1 में आवेदन प्रस्तुत करने पर नियमानुसार शुल्क ई–चालान के माध्यम से जमा किया जाना आवश्यक होगा।

(3) इस नियम में विहित प्ररूपों में, राज्य शासन अथवा राज्य शासन द्वारा नियुक्त मुख्य फैसिलिटेटर, आवश्यकतानुसार अधिसूचना द्वारा, संशोधन कर सकेगा।

प्ररूप–1
(धारा 5(2) सहपठित नियम 3(1) देखिये)
श्रम पहचान संख्या के पंजीयन हेतु आवेदन प्रपत्र

प्रति,

फैसिलिटेटर,
कार्यालय का पता .....

विषय – दुकान एवं स्थापना के श्रम पहचान संख्या का पंजीयन हेतु आवेदन पत्र।

1. दुकान/स्थापना का नाम .....
2. दुकान/स्थापना प्रारंभ तिथि .....
3. यदि स्थापना कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 अथवा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के तहत पंजीकृत हो, तो पंजीयन क्रमांक (पंजीयन प्रमाणपत्र अपलोड करे) .....
4. छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के तहत पंजीकृत स्थापना का पंजीयन क्रमांक (पंजीयन प्रमाणपत्र अपलोड करें) .....
5. दुकान/स्थापना का पूरा पता तथा स्थान ....
6. (अ) संचालक/नियोजक का नाम एवं पता .....
   (ब) ई–मेल .....
   (स) मोबाईल नम्बर/दूरभाष क्रमांक .....
   (द) आधार नम्बर (अपलोड कॉपी) .....
7. दुकान/स्थापना से संलग्न कार्यालय किन्तु स्थापना के स्थान से भिन्न स्थान में स्थित कार्यालय, भण्डार–कक्ष, गोदाम, भंडारगार या कार्य–स्थल की अवस्थिति.....
8. किये जाने वाले कारोबार, व्यापार या धंधे का प्रकार .....
9. स्थापना का स्वरूप – निजी/सार्वजनिक .....
10. स्थापना का प्रकार– दुकान/स्थापना/ निवासयुक्त होटल/रेस्टोरेंट/सिनेमा/ सार्वजनिक आमोद–प्रमोद के अन्य स्थान/अन्य .....
11. संगठन का प्रकार –
    प्रोपराईटर फर्म/भागीदार/सीमित दायित्व भागीदारी /कंपनी/ट्रस्ट/को–ऑपरेटिव सोसाईटी/ बोर्ड(संबंधित प्रकार के अभिलेख/प्रमाणपत्र अपलोड करें) .....
    (अ) बोर्ड या निगम की स्थिति में शासन के आदेश की प्रति
    (ब) कंपनी/सीमित दायित्व भागीदारी की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र
    (स) को–ओपरेटिव सोसाईटी/ट्रस्ट की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी का पंजीयन प्रमाणपत्र

(द) बैंकिंग कंपनी/शेयर/म्युचुअल फंड/बीमा/अग्रणी वित्तीय संस्थान होने की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन का प्रमाणपत्र

(य) बीमा कंपनी की स्थिति में बीमा में नियामक एवं विकास प्राधिकारी का प्रमाणपत्र

(र) प्रोपराईटर/भागीदारी या अन्य की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी का प्रमाणपत्र

(ल) प्लेसमेंट एजेंसी की स्थिति में जिला कलेक्टर/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति प्रमाणपत्र

(व) सुरक्षा गार्ड एजेंसी की स्थिति में गृह विभाग/सक्षम विभाग द्वारा जारी अनुमति प्रमाणपत्र

12. नियोजक के रूप में स्थापना में हित रखने

वाले अन्य व्यक्तियों के ब्यौरे

नाम निर्देशन किया जाए .....

क्र.	नाम तथा पिता का नाम	पदनाम	स्थायी पता	हित का प्रकार, क्या वह भागीदार/सदस्य/संचालक/अंशधारी है	आधार नम्बर	ई–मेल एवं मो0नं0
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

13. गोपनीय, प्रबन्धकीय या पर्यवक्षकीय प्रकृति के पद पर कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी

(अ) नाम .....

(ब) पता .....

(स) ई–मेल .....

(द) दूरभाष/मोबाईल नम्बर .....

(य) आधार नम्बर .....

14. कर्मकारों की संख्या

क्रमांक	वर्ग	महिला	पुरूष	योग
1	नियमित अथवा प्रत्यक्ष कर्मचारी			
2	संविदा कर्मचारी			
3	अंशकालिक कर्मचारी			
4	शिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत कार्यरत कर्मचारी			
5	अन्य			
	कुल योग			

15. क्या व्यवसाय, निजी भवन में है या किराये के भवन में है।

16. किराये के भवन की स्थिति में मकान मालिक का विवरण

नाम एवं पिता का नाम	स्थायी पता	मोबाईल नम्बर	आधार नम्बर
(1)	(2)	(3)	(4)

(अनुबंध की प्रति अपलोड करे)

17. सप्ताहिक अवकाश दिवस .....

18. शुल्क जमा करने के संबंध में ई–चालान की प्रति .....

शपथपत्र

मैं/हम शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि

1. मेरे द्वारा जो व्यापार किया जा रहा है वह किसी भी नियम, कानून अथवा न्यायालय के द्वारा विधिक रूप से प्रतिबंधित नहीं किया गया है।
2. उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी/ज्ञान/विश्वास से सही एवं सत्य के आधार पर दी गई।
3. यदि उपरोक्त जानकारी गलत/त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो शासन को मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार है।

स्थान .....
दिनांक .....

.....
स्वामी/भागीदार/प्रबंधक/सचिव/
प्रबंध संचालक या प्रभारी व्यक्ति
के डिजिटल हस्ताक्षर

प्ररूप–2

[नियम 4 (2) देखिये]

छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017
दुकान/स्थापना की श्रम पहचान संख्या के लिए पंजीयन प्रमाणपत्र

1. श्रम पहचान संख्या एवं दिनांक .....
2. दुकान/स्थापना का नाम .....
3. (अ) स्थापना का पूरा पता .....
   (ब) ई–मेल .....
   (स) दूरभाष/मोबाईल नम्बर .....
4. किये जाने वाले कारोबार, व्यापार या धंधे का प्रकार .....
5. स्थापना का स्वरूप – निजी/सार्वजनिक .....
6. दुकान/स्थापना का प्रकार– दुकान/स्थापना/
   निवासयुक्त होटल/रेस्टोरेंट/सिनेमा/
   सार्वजनिक आमोद–प्रमोद के अन्य स्थान/अन्य .....
7. संगठन का प्रकार –
   प्रोपराईटर फर्म/भागीदार/सीमित दायित्व भागीदारी
   /कंपनी/ट्रस्ट/को–ऑपरेटिव सोसाईटी/बोर्ड
8. (अ) दुकान/स्थापना के प्रारम्भ की तिथि .....
   (ब) क्या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 अथवा .....
   कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध .....
   अधिनियम, 1952 के तहत पंजीकृत है .....
9. नियोजक/संचालक का नाम एवं पता .....
10. प्रबंधक/अभिकर्ता का नाम एवं पता .....
11. स्थापना में नियोजक (भागीदार/अंशधारी),
    यदि कोई हो, के रूप में हित रखने अन्य व्यक्ति .....
    का, यदि कोई हो नाम/पद/पता .....
12. स्थापना का मुख्यालय, यदि कोई हो, का विवरण .....
    .....
    .....
13. कर्मकारों की संख्या .....

स.क्र.	वर्गीकरण	महिला	पुरूष	योग
1	नियमित/प्रत्यक्ष कर्मचारी			
2	संविदा कर्मचारी			
3	अंशकालिक कर्मचारी			
4	शिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत कार्यरत कर्मचारी			
5	अन्य			
	कुल योग			

14. सप्ताहिक अवकाश .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि दुकान/स्थापना, जिसके कि ब्यौरे ऊपर दिये गये हैं, नियोजक द्वारा प्रस्तुत आवेदन/घोषणा एवं उपलब्ध कराये गये स्वप्रमाणित अभिलेखों के आधार पर, दुकान/स्थापना के अस्तित्व का भौतिक सत्यापन किये बिना, छत्तीसगढ़ दुकान तथा स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 सहपठित छत्तीसगढ़ दुकान तथा स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) नियम, 2021 के अधीन दिनांक / / को श्रम पहचान संख्या जारी किया गया। इस प्रमाणपत्र के आधार पर किसी भी सम्पत्ति, दुकान, स्थापना अथवा नाम के दावा को प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

जारीकर्ता अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर

प्ररूप–3

[नियम 4(2) देखिये]

दुकान एवं स्थापनाओं की पंजी

जिला कार्यालय का नाम एवं पता.....

स.क्र.	श्रम पहचान संख्या एवं जारी दिनांक	दुकान/स्थापना का नाम तथा पता	नियोजक का नाम एवं निवास स्थान का पता	प्रबंधक का नाम एवं निवास स्थान का पता	क्या दुकान/स्थापना सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की है?	दुकान/स्थापना से संलग्न किंतु दुकान/स्थापना से भिन्न स्थान में स्थित कार्यालय भण्डार कक्ष, गोदाम या कार्यस्थल है, तो उनके पते
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

दुकान/स्थापना का प्रारंभ होने का दिनांक	कारोबार का प्रकार	दुकान/स्थापना में नियोजक के पारिवारिक नियोजित सदस्य संख्या महिला/पुरूष	दुकान/स्थापना में प्रबंधकीय एवं गोपनीय कार्य हेतु नियोजितों की संख्या	कुल कर्मकारों की संख्या	नियोजक के अतिरिक्ति संचालक/भागीदार/अंशधारक/सदस्य का विवरण(नाम एवं पता)	क्या दुकान/स्थापना पी.एफ./ई.एस.आई. के तहत पंजीकृत है यदि हां तो पंजीयन क्रमांक
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				1. नियमित अथवा प्रत्यक्ष कर्मचारी		
				2. संविदा कर्मचारी		
				3 अंशकालिक कर्मचारी		
				4 शिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत कार्यरत कर्मचारी		
				कुल योग		

प्ररूप–4

[नियम 5(1) देखिये]

श्रम पहचान संख्या के पंजीयन में परिवर्तन/संशोधन की सूचना

प्रति,

फैसिलिटेटर,
कार्यालय का पता .....

विषय – दुकान एवं स्थापना के श्रम पहचान संख्या पंजीयन प्रमाणपत्र में परिवर्तन के संबंध में आवेदन पत्र।

1. दुकान/स्थापना का नाम एवं पता .....
2. नियोजक का नाम एवं पता .....
3. नियोजक का आधार संख्या .....
4. श्रम पहचान संख्या .....
5. संशोधन शुल्क का ई–चालान .....

6	श्रमिक पहचान संख्या प्रमाणपत्र में प्रस्तावित संशोधन का विवरण		
		वर्तमान विवरण	प्रस्तावित परिवर्तन
अ	दुकान स्थापना का नाम		
ब	नियोजक/संचालक का नाम		
स	कारोबार/व्यापार/वाणिज्य का प्रकार		
द	दुकान/स्थापना का पता		
य	नियोजित कर्मकार का विवरण		
र	अन्य कोई परिवर्तन		

(परिवर्तन/संशोधन के संबंध में आवश्यक अभिलेख अपलोड करें)

शपथपत्र

मैं/हम शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :–

1. मेरे द्वारा जो व्यापार किया जा रहा है वह किसी भी नियम, कानून अथवा न्यायालय के द्वारा विधिक रूप से प्रतिबंधित नहीं किया गया है।
2. उपरोक्त परिवर्तन सूचना मेरी जानकारी/ज्ञान एवं विश्वास से सही है।
3. यदि उपरोक्त जानकारी गलत/त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो शासन को मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार है।

स्थान .....
दिनांक .....

.....
स्वामी/भागीदार/प्रबंधक/सचिव/
प्रबंध संचालक या प्रभारी व्यक्ति
के डिजिटल हस्ताक्षर

प्ररूप–5
[नियम 6 देखिये]

दुकान एवं स्थापना के बंदीकरण की सूचना

प्रति,

फैसिलिटेटर,
कार्यालय का पता .....

विषय – दुकान एवं स्थापना को बंद करने के संबंध में आवेदन।

1	दुकान/स्थापना का नाम एवं पता			
2	श्रम पहचान संख्या			
3	नियोजक का नाम एवं पता			
4	ई–मेल			
5	दूरभाष/मोबाईल नम्बर			
6	नियोजक का आधार संख्या			
7	भागीदार/डायरेक्टर/ट्रस्ट/बोर्ड के सदस्यों की जानकारी			
8	संगठन/व्यवसाय का प्रकार प्रोपराईटर/भागीदार/ कंपनी/ट्रस्ट/सोसाईटी/बोर्ड			
9	अधिकृत व्यक्ति/प्रबंधक का नाम एवं पता	नाम एवं ई–मेल	आधार नम्बर	मोबाईल नम्बर

<table>
<tr><td>10</td><td>मुख्यालय का नाम एवं पता (यदि उपलब्ध हो)</td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td colspan="2">दुकान/स्थापना के बंद होने से प्रभावित कर्मकारों का विवरण
<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>वर्ग</th><th>महिला</th><th>पुरूष</th><th>योग</th></tr>
<tr><td>1</td><td>नियमित अथवा प्रत्यक्ष कर्मचारी</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>संविदा कर्मचारी</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>अंशकालिक कर्मचारी</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>शिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत कार्यरत कर्मचारी</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>अन्य</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>कुल योग</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>12</td><td>नियोजित कर्मकारों के अंतिम वैधानिक देय स्वत्वों के भुगतान का विवरण</td><td></td></tr>
<tr><td>13</td><td>व्यवसाय समाप्त/बंद करने की दिनांक</td><td></td></tr>
<tr><td>14</td><td>समाप्त/बंद करने का कारण</td><td></td></tr>
</table>

शपथपत्र

मैं/हम शपथपूर्वक घोषणा करता/करते/करती हूँ/हैं कि :–

1. कि मेरे द्वारा दुकान एवं स्थापना में कार्यरत समस्त श्रमिकों/कर्मकारों/कर्मचारियों को अंतिम वैधानिक स्वत्वों का भुगतान नियमानुसार कर दिया गया है।

2. यदि उपरोक्त जानकारी गलत/त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो शासन को मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार है।

स्थान .....
दिनांक .....

.....

स्वामी/भागीदार/प्रबंधक/सचिव/
प्रबंध संचालक या प्रभारी व्यक्ति
के डिजिटल हस्ताक्षर

प्ररूप–6

[धारा 6(2) और नियम 7 देखिये]

महिला कर्मचारी/कर्मकारों से रात्रि पाली में कार्य लेने की अनुमति हेतु आवेदन

प्रति,

फैसिलिटेटर,
कार्यालय का पता .....

विषय – दुकान/स्थापना में महिला कर्मकारों से रात्रि पाली में कार्य लेने की अनुमति हेतु आवेदन।

1	दुकान/स्थापना का नाम एवं पता	.....
2	श्रम पहचान संख्या	.....
3	नियोजक का नाम एवं पता	.....
4	ई–मेल	.....
5	दूरभाष/मोबाईल नम्बर	.....
6	नियोजक का आधार संख्या	.....
7	पाली की अवधि	.....
8	कार्यरत महिलाओं की संख्या	.....
9	महिलाओं से लिये जाने वाले कार्य का स्वरूप	.....
10	सुरक्षा हेतु किये गये उपायों का विवरण (अ) कार्यस्थल से महिला कर्मकार के निवास तक पहुंचने हेतु सुरक्षागार्ड युक्त वाहन का विवरण (ब) महिला कर्मचारी/कर्मकार हेतु शिकायत पेटी का विवरण (स) रात्रि पाली में महिला कर्मकारों की सुरक्षा हेतु नियुक्त महिला सुरक्षाकर्मी का विवरण (द) महिला कर्मचारियों के लिये पृथक से युरिनल एवं टॉयलेट (शौचालय) का विवरण	....
11	महिला कर्मचारियों से सहमति पत्र अपलोड करें	.....
12	कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम, 2013 के तहत् गठित समिति का विवरण	....

शपथपत्र

मैं/हम शपथपूर्वक घोषणा करता/करते/करती हूँ/हैं कि :–

1. कि मेरे द्वारा छत्तीसगढ़ दुकान तथा स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 सहपठित छत्तीसगढ़ दुकान तथा स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) नियम, 2021 में उल्लेखित प्रावधानों का पालन करते हुये महिला कर्मचारियों से रात्रिपाली में कार्य लिया जा रहा है। इस हेतु महिला कर्मकारों से सद्भावना से सहमति ले ली गई है।
2. यह उल्लेखनीय है कि संस्थान में यौन उत्पीड़न समिति श्रीमती/कुमारी..... की अध्यक्षता में गठित है।
3. मेरे द्वारा छत्तीसगढ़ दुकान तथा स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 सहपठित छत्तीसगढ़ दुकान तथा स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) नियम, 2021 का पालन किया जा रहा है।
4. उपरोक्त जानकारी गलत/त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो शासन को मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार है।

स्थान .....
दिनांक .....

.....

स्वामी/भागीदार/प्रबंधक/सचिव/
प्रबंध संचालक या प्रभारी व्यक्ति
के डिजिटल हस्ताक्षर

प्ररूप–7

[धारा 6(2) और नियम 7(1) देखिये]

महिला कर्मचारी/कर्मकारों द्वारा रात्रि पाली में कार्य करने के संबंध में सहमति पत्र

मैं कुमारी/श्रीमती ..... पिता/पति का नाम ..... पता .... वर्तमान में दुकान/स्थापना ..... पता .....में .....पद पर ..... अवधि से कार्यरत हूं एवं रात्रि पाली में दुकान/स्थापना निरंतरित संचालित होने के कारण एवं छत्तीसगढ़ दुकान तथा स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 सहपठित छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुरूप संस्थान में कार्यस्थल पर महिला कर्मीयों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के साधनों एवं संस्थान से निवास स्थान तक सुरक्षित सुरक्षागार्डो की उपस्थिति में सुरक्षित वाहनों से मेरे निवास तक पहुंचाये जाने की व्यवस्था तथा रात्रि पाली में 03 से अधिक महिला कर्मी कार्यरत होने की जानकारी होने के कारण मैं रात्रि पाली में ..... बजे से ..... बजे तक कार्य करने हेतु सहमति प्रदाय करती हूं।

मुझे यह भी ज्ञात है कि उक्त संस्थान में कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम, 2013 के तहत् कुमारी/श्रीमती ..... की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।

महिला कर्मी का नाम एवं हस्ताक्षर
मो. नं. :
पता :

दिनांक :

प्ररूप–8

[धारा 10(4) और नियम 12 देखिये]

कार्य के घण्टे, विश्राम की अवधि, साप्ताहिक अवकाश की सूचना

1 दुकान/स्थापना का नाम एवं पता .....
2 श्रम पहचान संख्या .....
3 नियोजक का नाम एवं पता .....
4 ई–मेल .....
5 दूरभाष/मोबाईल नम्बर .....

स.क्र.	श्रमिक का नाम	पद	कार्य के घण्टे .... से .....तक	विश्राम अंतराल ..... से .....तक	साप्ताहिक अवकाश दिवस
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

दुकान एवं स्थापना में कार्यरत समस्त कर्मकारों को निम्नानुसार पारियों में कार्य करने एवं साप्ताहिक अवकाश की सूचना दी जाती है–

स.क्र.	कर्मचारी का नाम	पद	माह की तिथि	माह की तिथि	माह की तिथि	माह की तिथि	साप्ताहिक अवकाश दिवस
			सामान्य पारी	प्रथम पारी	द्वितीय पारी	तृतीय पारी	
			.....से	..... से	..... से	..... से ...	

			बजे तक	बजे तक	..... बजे तक	..... बजे तक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

दिनांक .....

.....
नियोजक/प्रबंधक के हस्ताक्षर

प्ररूप–9

[धारा 8 और नियम 13 देखिये]

कर्मकारों से निर्धारित अवधि से अधिक एवं साप्ताहिक अवकाश दिवस में कार्य लेने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

फैसिलिटेटर,
कार्यालय का पता .....

विषय – दुकान एवं स्थापना में विशेष परिस्थिति में कर्मकारों से धारा 8 के अधीन निर्धारित अवधि से अधिक अथवा साप्ताहिक अवकाश दिवस में लेने की अनुमति हेतु आवेदन।

1	दुकान/स्थापना का नाम एवं पता	.....
2	श्रम पहचान संख्या	.....
3	नियोजक का नाम एवं पता	.....
4	ई–मेल	.....
5	दूरभाष/मोबाईल नम्बर	.....
6	अधिसमय कार्य की आवश्यकता के कारण	.....
7	अधिसमय की अवधि	.....
8	स्थापना में कार्यरत महिला/पुरूष की कुल संख्या	.....
9	अधिसमय में लिये जाने वाले कार्य का स्वरूप	.....
10	अधिसमय/साप्ताहिक अवकाश दिवस में कार्य करवाने हेतु आवश्यक कर्मकार की संख्या	महिला + पुरूष = योग .... =

स्थापना प्रमुख के नाम एवं हस्ताक्षर

फैसिलिटेटर कार्यालय द्वारा भरा जाये

उक्त अनुमति निर्धारित नियम..... के अधीन धारा ..... के प्रावधानों के शर्तो के अध्यधीन रहते हुए प्रदाय की जाती है।

फैसिलिटेटर का नाम एवं हस्ताक्षर

प्ररूप–10

[नियम 16(1) देखिये]

नियोजित कर्मकार का पहचान पत्र

दुकान/स्थापना का नाम एवं श्रम पहचान संख्या : .....

1 कर्मकार का नाम .....
2 पिता/पति का नाम .....
3 पता .....
4 लिंग .....
5 पद/पदनाम .....
6 दूरभाष/मोबाईल नम्बर .....
7 आधार नम्बर .....
8 दुकान एवं स्थापना में नियुक्ति का दिनांक .....

दिनांक .....

.....
नियोजक/प्रबंधक के हस्ताक्षर

प्ररूप–11

[धारा 18(1) और नियम 16(2) देखिये]

नियोजित कर्मकारों का उपस्थिति पंजी/मस्टररोल

1 दुकान/स्थापना का नाम एवं पता .....
2 श्रम पहचान संख्या .....
3 वर्ष/माह .....

स. क्र.	कर्मकार का पूर्ण नाम	पदनाम एवं कार्य की प्रकृति	उम्र	लिंग	नियुक्ति दिनांक	कार्य के घण्टे		विश्राम अवधि		माह के तारीख					
						से	तक	से	तक						
										1	2	3	4	5	6

माह के तारीख																								कुल कार्य दिवस
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

दिनांक .....

.....
नियोजक/प्रबंधक के हस्ताक्षर

प्ररूप–12

[धारा 18(1) और नियम 16(3) देखिये]

नियोजित कर्मकारों का वेतन, अधिसमय एवं कटौत्रा पंजी

1 दुकान/स्थापना का नाम एवं पता .....
2 श्रम पहचान संख्या .....
3 वर्ष/माह .....

स.क्र.	कर्मकार का पूर्ण नाम	पद नाम एवं कार्य की प्रकृति	कुल कार्य दिवस	निर्धारित मूल वेतन	पीस रेट भुगतान की स्थिति में कुल उत्पादित इकाई	प्रति इकाई हेतु निर्धारित मूल पीस दर	उत्पादित इकाई अनुसार पीस दर पर कुल देय मूल वेतन	गृह भाड़ा भत्ता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

महंगाई भत्ता	अन्य भत्तें	सकल वेतन (5+9+10+11) अथवा (8+9+10+11)	माह में किये गये कुल अधिसमय के घण्टे	अधिसमय हेतु अर्जित आय	कटौत्रा								
					भविष्य निधि अंशदान	परिवार पेंशन	ई.एस. आई. अंशदान	श्रम कल्याण मण्डल की अभिदाय क राशि	आयकर	ऋण एवं ब्याज	अग्रिम	अन्य	कुल कटौत्रा
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)								

कुल देय राशि (12-15)	भुगतान की तिथि	कर्मकार का बैंक खाता विवरण	चेक नं0 एवं तिथि/ आर.टी.जी.एस/ एन.ई.एफ.टी. स्थानांतरण तिथि	जमा राशि	कर्मकार के हस्ताक्षर अथवा अंगुठा के निशान
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)

दिनांक .....

.....
नियोजक/प्रबंधक के हस्ताक्षर

प्ररूप–13

[धारा 18(1) और नियम 16(5) देखिये]

नियोजित कर्मकारों की अवकाश पंजी

1 दुकान/स्थापना का नाम एवं पता .....श्रम पहचान संख्या .....

2 नियोजक का नाम .....

3 कर्मकार का नाम एवं पदनाम .....नियुक्ति का दिनांक .....

4 वर्ष ..... अवकाश पंजी की पावती(कर्मकार के हस्ताक्षर)

अर्जित अवकाश पंजी

गत वर्ष में संचित अर्जित अवकाश	स्वीकृत अर्जित अवकाश		अवकाश अवधि का भुगतान	अस्वीकृत अवकाश			वर्ष के अंत में शेष अवकाश			सेवा समाप्ति के समय संचित अवकाश का भुगतान		
(1)	(2)		(3)	(4)			(5)			(6)		
	.....से	.... तक		आवेदन तिथि	अस्वीकृति दिनांक	अस्वीकृति का कारण	वर्ष के अंत में शेष अवकाश	चालू वर्ष के लिए अर्जित अवकाश	योग	सेवा समाप्ति दिनांक	संचित अर्जित अवकाश	संचित अर्जित अवकाश का भुगतान

आकस्मिक अवकाश पंजी

वर्ष में देय अवकाश (दिनों की संख्या)	वर्ष में लिये गये अवकाश दिनों की संख्या दिनांक सहित	शेष अवकाश दिनों की संख्या	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)

त्यौहारी अवकाश पंजी

वर्ष में देय अवकाश (दिनों की संख्या)	लिये गये अवकाश दिनों की संख्या दिनांक सहित	शेष अवकाश दिनों की संख्या	अवकाश दिवसों में कार्य लिये जाने पर किया गया भुगतान	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

दिनांक .....

.....

नियोजक/प्रबंधक के हस्ताक्षर

प्ररूप–14

[धारा 19 एवं नियम 17 देखिये]

वार्षिक विवरण

वर्ष .....

1. श्रम पहचान संख्या एवं दिनांक .....
2. दुकान/स्थापना का नाम .....
3. स्थापना का पूरा पता .....
4. नियोजक/भागीदार/संचालक/अधिकृत व्यक्ति का नाम .....
5. प्रबंधक का नाम .....
6. कुल कर्मकारों की संख्या

स. क्र.	वर्ग	महिला	पुरूष	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	नियमित अथवा प्रत्यक्ष कर्मचारी			
2	संविदा कर्मचारी			
3	अंशकालिक कर्मचारी			
4	शिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत कार्यरत कर्मचारी			
5	अन्य			
	कुल योग			

7. कारोबार का प्रकार व्यापार .....
8. प्रति पारी औसत नियोजित कर्मचारीः– प्रथम पारी .....द्वितीय पारी.....तृतीय पारी.....
9. क्या पारी संसूचित है एवं फैसिलिटेटर को जानकारी भेजी गई है? हाँ/नहीं .....
10. वर्ष में नियोजित महिला कर्मकारों की संख्या .....
11. रात्रिकालीन पारी में नियोजित महिला कर्मकारों की संख्या .....
12. क्या महिला से रात्रिकालीन पारी में कार्य हेतु सहमति ली गई है? हाँ/नहीं .....
13. क्या सप्ताहिक अवकाश की सूचना प्रदर्शित है? हाँ/नहीं .....
14. क्या कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोषण) कानून, 2013 के अंतर्गत समिति का गठन किया गया है? हाँ/नहीं/लागू नहीं .....
    यदि हाँ, तो समिति के अध्यक्ष का नाम .....
15. क्या महिला कर्मकारों को कार्य स्थल से निवास तक छोड़ने हेतु रखे गये चालकों का पुलिस सत्यापन कराया गया है? हाँ/नहीं/लागू नहीं .....
16. क्या सभी कर्मकारों को नियुक्ति पत्र दिया गया है? हाँ/नहीं .....
17. क्या सभी कर्मकारों को परिचय पत्र दिया गया है? हाँ/नहीं .....
18. क्या अवकाश पंजी संधारित है? हाँ/नहीं .....
19. क्या प्राथमिक उपचार पेटी रखी गई है? हाँ/नहीं .....
20. क्या नियम अंतर्गत प्रावधानित सभी रजिस्टर एवं रिकार्ड संधारित है तथा आवश्यक सूचना संसूचित की गई है? हाँ/नहीं .....
21. क्या वर्ष में प्रशमन अधिकारी को कोई आवेदन प्रशमन हेतु प्रस्तुत किया गया है? हाँ/नहीं.....
    यदि हाँ, तो आवेदन तिथि ..... निराकरण तिथि ..... प्रशमन राशि .....
22. क्या दुकान/स्थापना में कोई दुर्घटना हुई है? हाँ/नहीं .....
    यदि हाँ, तो दुर्घटना दिनांक एवं विवरण .....
    दुर्घटनाग्रस्त श्रमिक संख्या ..... प्रदान की गई क्षतिपूर्ति.....

शपथ पत्र

मैं/हम शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि वार्षिक विवरण में दी गई सूचना मेरी जानकारी/ज्ञान/विश्वास से सही एवं सत्य के आधार पर दी गई। यदि उपरोक्त जानकारी गलत/त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, तो शासन को मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार है।

स्थान .....
दिनांक .....

.....
स्वामी/भागीदार/प्रबंधक/सचिव/
प्रबंध संचालक या प्रभारी व्यक्ति
के डिजिटल हस्ताक्षर

प्ररूप–15
[धारा 24 एवं नियम 18(1) देखिये]
अपराध के प्रशमन हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

प्रशमन अधिकारी,
कार्यालय का पता .....

विषय :– अपराध के प्रशमन हेतु आवेदन पत्र।
संदर्भ :– निरीक्षण/ज्ञापन दिनांक .....

****

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भ में फैसिलिटेटर द्वारा हमारे दुकान/स्थापना का निरीक्षण दिनांक ..... को किया गया था/फैसिलिटेटर द्वारा हमारे दुकान/स्थापना द्वारा कतिपय प्रावधानों के उल्लंघन संबंधी सूचना पत्र दिनांक ..... दिया गया है।

मैं/हम निरीक्षण टीप में उल्लेखित समस्त उल्लंघनों के संबंध में प्रशमन अधिकारी द्वारा नियत प्रशमन राशि जमा कराया जाने हेतु सहमत हैं। निरीक्षण टीप में उल्लेखित उल्लंघन निम्नवत हैं–

क्रमांक	उल्लंघन की गई धारा/नियम	उल्लंघन का संक्षिप्त विवरण

1. क्या उपरोक्त उल्लंघनों के लिए फैसिलिटेटर द्वारा अभियोजन दायर किया जा चुक है, हाँ/नहीं
2. यदि हां, तो उल्लंघित धारा.....एवं अभियोजन तिथि .....।
3. क्या पूर्व में इसी धारा या नियम के उल्लंघन हेतु प्रशमन की कार्यवाही की गई है, हाँ/नहीं
4. यदि हाँ, तो प्रशमन तिथि ..... राशि .....।

आपसे निवेदन है कि मैं/हम उल्लंघनों का निराकरण कर चुके हैं। अतः उपरोक्त उल्लंघनों हेतु प्रशमन राशि नियत किये जाने हेतु आदेश जारी करने का कष्ट करें एवं मैं/हम आदेशित प्रशमन राशि नियत समय पर जमा करने हेतु सहमत हैं। यदि मैं/हम उक्त राशि जमा करने में असफल रहते हैं, तो अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत हमारे विरूद्ध न्यायालय में अभियोजन दायर किया जा सकेगा।

स्थान .....
दिनांक .....

.....
स्वामी/भागीदार/प्रबंधक/सचिव/
प्रबंध संचालक या प्रभारी व्यक्ति
के नाम एवं हस्ताक्षर
स्थापना का नाम व श्रम पहचान संख्या

प्रशमन अधिकारी का आदेश

प्रशमन अधिकारी द्वारा प्रकरण में जारी आदेश ..... एवं अधिरोपित दण्ड राशि .....

प्रशमन अधिकारी का हस्ताक्षर
नाम.....
पदनाम .....
कार्यालय .....

प्ररूप–16
[धारा 24 एवं नियम 18(2) देखिये]
अपराध के प्रशमन की पंजी

प्रकरण कमांक एवं दिनांक	आवेदनकर्ता का नाम व पता	दुकान / स्थापना का नाम व पता	श्रम पहचान संख्या	उल्लंघन की गई धारा / नियम एवं उसका संक्षिप्त विवरण	प्रशमन अधिकारी द्वारा आदेशित प्रशमन राशि एवं दिनांक	राशि जमा किये जाने का दिनांक	रिमार्क	प्रशमन अधिकारी के हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशुतोष पाण्डेय, उप–सचिव.

अटल नगर, दिनांक 3 फरवरी 2022

क्रमांक 10–12 / 2017 / 16.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 10–12 / 2017 / 16, दिनांक 3–2–2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल महोदय के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशुतोष पाण्डेय, उप–सचिव.

Atal Nagar, the 3rd February 2022

NOTIFICATION

No. F 10-12/2017/16.— In exercise of the powers conferred by of Section 28 of the Chhattisgarh Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2017 (No. 21 of 2018), the State Government, hereby, makes the following rules for Enforcement of the Chhattisgarh shops and Establishment and Regulating of Employment and conditions of service of the said Act, namely :-

RULES
CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. **Short title.-** These rules shall be called the Chhattisgarh Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2021.

2. **Definitions.-** (1) In these rules, unless the context otherwise require,-

(a) "Act" means the Chhattisgarh Shops and Establishments (Regulation of employment and conditions of service) Act, 2017 (No. 21 of 2018);

(b) "Form" means the Form appended to these rules;

(c) "Section" means a Section of the Act;

(d) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

(e) "Labour identification number" means a registration number issued for any shop and establishment under the Act;

(f) "Compounding Officer" means Gazetted Officer notified by the State Government under sub-section (1) of Section 24 of the Act;

(g) "Year" means the calendar year (January to December);

(h) "Managerial" means manager who is declared under clause (a) of sub-section (1) of Section 3 of the Act;

(i) "Confidential worker" means such worker who is declared as a confidential worker under clause (a) of sub-section (1) of Section 3 of the Act;

(j) "Supervisory worker" means such worker who is declared as a supervisory worker under clause (a) of sub-section (1) of Section 3 of the Act;

(k) "Intermittent service" means a service which is taken from a person in a shop or establishment once or twice in a week, fortnight or a month but not more than 45 days in a year;

(l) "Family" means a parent, spouse, son, daughter and sibling of any employer who is living or dependent on such employer;

(m) "Local authority office" means the Office under the municipal and panchayat bodies or office of corporation/board constituted by the Government or under any Act.

(n) "Facilitator" means the Officer appointed under subsection (1) of Section 17 of the Act;

(2) The words and expressions used in these rules but not defined shall have the same meanings as assigned in the Act, respectively.

CHAPTER- II
LABOUR IDENTIFICATION NUMBER

3. Application and fee for labour identification number.- (1) Under sub-section (2) of Section 5 of the Act, an employer shall apply electronically for registration within a period of six months from the date of such commencement of shops and establishment in Form-1 alongwith required documents in the web portal of the Labour Department of the Chhattisgarh Government. The fee is to be deposited online through e-challan as prescribed, below :-

S. No.	Classification of Establishments	Fixed Fees
1.	Establishment employing 10 to 50 workers	Rs. 1000/-
2.	Establishment employing 51 to100 workers	Rs. 3000/-
3.	Establishment employing 101 to 200 workers	Rs. 5000/-
4.	Establishment employing 201 to 500 workers	Rs. 7000/-
5.	Establishment employing more than 500 workers	Rs. 10,000/-

(2) The submission of application for labour identification number after the expiration of period of 6 months from the date of commencement of such shop and establishment, late fee of 25 percent of the prescribed fee for labour identification number will be payable online.

(3) The State Government may, from time to time, make changes in the prescribed rates for registration fee, late fees and amendment fee, by notification.

(4) Notwithstanding anything contained in this Section, Shops and Establishments registered under the provisions of the Employee's State Insurance Act, 1948 (No. 34 of 1948) or the Employee's Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (No.19 of 1952) or any rules or schemes made thereunder, shall apply in Form-1 on web portal of the Labour Department for receiving the labour identification number under sub-rule (1) of rule 3 within the period of six months from the implementation of the Act but any registration fee will not be paid by the such shop /establishment.

4. Registration Certificate of Labour Identification Number.- (1) The online application submitted by the shop/establishment in the prescribed form including documents will be examined by the local area facilitator. The registration certificate will be issued by the facilitator online along with digital signature within 15 working days if the application is found correct.

However, if no decision is made by the facilitator within 15 working days of the application, the labour identification number of such a shop and establishment will be released by the web portal and shall deemed to be the approved acceptance.

(2) After the application received under sub-section (2) of Section 5, the certificate of labour identification number will be issued online along with the digital signature in Form-2 and uploaded in the web portal of Labour Department. The register of shops and establishments to which labour identification Number is issued by the facilitator will be maintained in Form-3 in the web portal of the Labour Department by the facilitator's office.

(3) Within 15 days from the submission of application, if any fault/mistakes is found by the facilitator in the application / document submitted by the employer, he will be given an opportunity to fulfill the fault/mistakes through online entry in the next seven working days.

(4) Upon correction of the fault/mistakes within seven days by the employer of the shop and establishment, the facilitator will upload the registration certificate of the labour identification number within seven days along with online digital signature in the web Portal of Labour Department.

(5) The employer of each such shop and establishment is under the obligation to display the labour identification number and also the name of the shop and establishment in their sign board which is easily readable.

5. Information of amendment/changes of Labour Identification Number.- (1) The Notice for amendment/changes in the Certificate of the Labour Identification Number is to be given by amendment application in Form-4 for mentioning the change in name and address of the employer/partner, number of workmen, address of shop or establishment, nature of work etc. along with the fees by paying an e-challan of Rs. 100 (hundred rupees) and the relevant documents which is to be submitted online in the web portal of Labour Department.

(2) The amendment application received online and the relevant documents in the prescribed form submitted by the shop / establishment will be examined by the Facilitator of local area and certificate of the labour identification number will be uploaded online in the web portal of the Labour Department along with the digital signature within 15 working days if the application is found correct.

(3) The amendment application/documents submitted by the shop/ Establishment is found to be inaccurate or against the law, by the facilitator then within 15 days, the employer will be given an opportunity to correct the such fault/mistakes online in the next 7 working days stating reasons for the same and after fulfilment of the such fault/mistakes an amendment will be incorporated but if such amendment not made according to the rules, it shall be communicated with reasons in the Web Portal of Labour Department.

6. Notice of closure of the shop and establishment.- The notice regarding closure of the shop/establishment will be given by the employer/Partner within a month from the date of closure to the Facilitator of the local area online in Form-5 in the web portal of the Labour Department. On receipt of the said notice, the facilitator will make the relevant entry in the online register of establishment.

CHAPTER -III
DUTIES OF EMPLOYER

7. Employment and Conditions of Women Workers in night shift.- Any shop or establishment or class of employers on which this Act applies which needs to employ women worker at night from 09.00 P.M. to 06.00 A.M., shall submit online application in the prescribed Form-6, which on being conciliated by the State Government or the Chief Facilitator appointed by the State Government, will be permitted/allowed through a notification subject to the following conditions:-

(1) Consent Form-7 of woman worker for night shift is necessary.

(2) It is necessary to have at least 3 women workers employed in night shift of the shop / establishment or any of its departments / branches.

(3) Arrangements of security guards alongwith suitable vehicles will be made for the women workers employed in the night shift to pick-up and drop to their residence from the workplace safely. Details of the vehicle, driver and security guard etc verified by the police and other required details will be kept by the employer.

(4) Every employer will keep a complaint box for women workers.

(5) Each employer will display the phone number of local police station, police control room and women's help center at an easily visible place of the shop and establishment.

(6) Every employer or group of employers will arrange separate urinals and toilets for women workers in the shop/establishment where the doors will have safety lache only from inside. The toilet, washroom and drinking facilities should be within the workplace where such women employees are employed.

(7) Entry and exit of women employees in workplace should be well-lit.

(8) Provide adequate shelter, restroom and night creche for women employees.

(9) No woman shall be employed against the maternity benefit provisions laid down under the Code on Social Security 2020 (No.36 of 2020),

8. Health, safety and hygiene of the workers.- (1) Every shop and establishment will ensure proper cleaning, work of whitewashing and painting in intervals of every 2 years under sub-section (1) of Section 7.

(2) Every shop and establishment or any premises in which the process of cleaning / washing of jewels is done with the help of acids, adequate water drainage system will be provided and it will be directed out in special treatment tanks where before their disposal in the general drains, the harmful substances can get neutralized or otherwise disinfected.

(3) In a shop/establishment, a room or building where there is hazardous gas, steam, smoke or dust on any premises, there will be adequate provision and maintenance of ventilation at every hour.

(4) In every establishment or any premises in which person employed in processes where dangerous gas, vapour, fumes or dust may be devolved, suitable protective appliances such as hand gloves, footwear, breathing mask, goggles shall be provided for the use of the employed persons/employees.

(5) In every shop and establishment or any premises in which the process of cleaning/washing ornaments with the aid of acid is carried on every person employed shall be medically examined by a qualified medical practitioner within 15 days of his first employment and thereafter re-examination at intervals of not more than 6 months and record of such medical examination shall be maintained in respect of each employee and shall be uploaded by the employer in the web portal of Labour Department.

(6) No person will smoke near any flammable material in any shop/ estbalishment nor will he bring into use any exposed/open light and will not use any such light nor will allow its use.

(7) Every shop and establishment or premises shall provide adequate light, air as well as a health-friendly environment,

(8) Every shop/establishment and premises where workers are expected to stand continuously for work, necessary arrangements for sitting separately for each worker shall be made by the employer so that the workers can sit in required intervals.

(9) Each employer shall comply with the relevant provisions of fire protection in the shop and establishment.

9. Guidelines for prevention of Sexual Harassment of Women at workplace.- The provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (No.14 of 2013) will be strictly followed by the employer whenever Women Workers are employed.

10. Convenience of urinals and toilets. - The arrangement of adequate number of separate urinals / toilets should be done collectively for women and men employees working in shops and establishments by a group of employers or employer. Urinals and toilets of women should be safe to use. Ventilation of air, adequate power and proper arrangement of water should be ensured.

11. First Aid Facilities.- (1) Every employer should keep the First Aid box with the necessary first aid material easily accessible to the workers working in the shop and establishment. In the first aid box, there will be a red mark (red cross) on the white background clearly.

(2) In such shop and establishment where the number of employed workers is up to 50, for the primary treatment of the workers by the employer, it is mandatory for 2 workers to be trained to do primary treatment in each shift. In the same ratio, when there are more than 50 workers, it would be mandatory for 2:2 workers to be trained for primary treatment in each shift.

(3) A shop and establishment where the number of employed workers is 200 or more than 200, employer will make a contract to any medical practitioner near the work place to provide the necessary medical facilities for the primary treatment of workers during the working period, of which it is mandatory that Information leaflet (doctor's name, academic qualification, address and telephone number) should be marked on the notice board of each department / branch of the shop and establishment. It is also mandatory to have the information details of the nearest governmental / private ambulance service and to communicate it to the employees.

CHAPTER- IV
WORKING HOURS, REST DAY, WEEKLY LEAVES AND OVERTIME

12. Working hours, rest day and weekly leaves- (1) According to the requirement of different categories of shops and establishments, Chief facilitator will declare time to time by notification, a rest day a paid weekly leave for workers working on normal working days and on an area wise basis.

(2) Payment for weekly leaves to the workers will be payable along with the weekly or monthly payment.

(3) Every employer will exhibit the notice of working hours, rest day, weekly leaves and shift in the Form-8 at the workplace and shall make the online information available to the facilitator in the web portal of labour department.

13. Overtime. -The provisions of sub-section 1 and 2 of Section 8 of the Act will be applicable subject to the following terms and conditions for the workers in the category of shops and establishments mentioned in sub-section 5 of the Act:-

(1) Every Employer under special circumstances of taking work for more than 9 hours from employee or for working on a weekly leave day, shall apply for permission to the facilitator online in the web portal of the Labour Department for permission in the Form-9 after which the facilitator will examine and if satisfied, shall allow relaxation of the working hour or weekly rest online.

(2) No employer under any circumstance will take work for more than 12 hours in a day from a worker where the worker will be provided with not less than two intervals of at least half an hour each for relaxation and overtime should not be more than 125 hours in a period of 3 months and 12 hours in the week as per sub-section (3) of Section 8 of the Act.

(3) A worker working in a weekly holiday with the permission of the facilitator will be paid twice the salary for the weekly leave day and will be given a weekly leave reimbursement in any of the other working days within 30 days.

(4) A workman subjected to work for more than 9 hours a day or 48 hours in a week will be paid at the rate of twice the usual salary he receives or if necessity, will be determined highest salary (wages) for over time as determined by the Chief Facilitator from time to time through notification.

CHAPTER-V
APPOINTMENT, QUALIFICATION AND DUTIES OF THE FACILITATORS

14. Appointment of Chief facilitators/ facilitators and their powers.- (1) For the purpose of the Act, the Labour Commissioner appointed by the State Government shall be the Chief Facilitator.

(2) To fulfill the objectives of the Act, the Assistant Labour Commissioner, Labour Officer, Assistant Labour Officer, Labour Inspector and Labour Sub Inspector will be the facilitators within the local areas for issuing labour identification number certificate and ensuring the compulsory compliance of provisions of the Act under the direction of the Chief Facilitator.

(3) Qualifications of Facilitator-

(a) No person shall be appointed as a facilitator under this Act unless he can speak, read and write in Hindi and is a graduate of any recognized university or such a matriculate who has minimum seven years of service experience under the Government.

(b) No person shall be appointed as a facilitator under the Act or shall continue to hold an office on such an appointment, if he is to be appointed or has been appointed for the area in a shop/establishment which comes under the purview of the act, where he holds any part or interest, directly or indirectly either himself or through a partner.

15. Duties of Chief Facilitator and the facilitators.- The facilitator while carrying out inspection as per Section 17 of the Act, in order to ensure the provisions of the Act and rules along with the orders given by the Chief Facilitator appointed by the State Government under the Act are followed, will confirm the following facts:-

(1) Whether the Shop/establishment is registered as per the provision of the Act and holds a certificate of Labour Identification Number;

(2) The Compliance of notification / instructions from time to time issued by the State Government or the Chief Facilitator under the provisions of the Act will be ensured;

(3) It will be the responsibility of the facilitator to maintain the daily diary and make available to the Chief Facilitator on demand and submitted to the office head at least once a month for verification;

(4) Inspection will be carried by the facilitator through the random system on the instructions of the chief facilitator or by other method prescribed by the Chief Facilitator;

(5) It shall be the obligation of the facilitator to maintain electronically register/files case wise of the establishments which violate the provisions of the Act and further sent to the court or submitted for compounding;

(6) Notice letters / orders issued by the compounding Officer to respective shops and establishments can be given through registered post / online portal / e-mail or other medium. The compounding officer will assure to deposit the compounding amount from the default shop and establishment according to the instructions, but if the compounding amount is not deposited by the defaulted shop and establishment's employer, then upon the order of the compounding officer, the facilitator will ensure the filing of the prosecution in the court as per the rules;

(7) It will be the responsibility of the facilitator that the provisions of the Act, the notifications along with the instructions issued from time to time by the government will be made available to the employers/operators for effective compliance through the online portal and information/ instructions related to the rights of the employees of the establishment by giving direction to employers and directors in the notice board;

(8) Instructions to the employer has to be given after hearing the complaints received in connection with facilities provided under the act such as Leave, Overtime, Health, Security, Service termination, Payment of Gratuity, Payment of wages etc., of the workers working institution within the local boundaries of the facilitators as notified by the Chief Facilitator and to be referred to the competent court if not abided by the employer.

CHAPTER - VI
MAINTENANCE OF REGISTERS AND RECORDS

16. Maintenance of registers and records. - (1) Every employer will provide the appointment letter on employing a worker in the shop and establishment in Form-10 along with the identity card to each worker.

(2) Every employer will maintain the attendance register electronically or in hard copy form, in the prescribed Form-11 for the attendance of employees appointed in the shop and establishment.

(3) Every employer shall maintain the wage register in respect of payment of salary, overtime, fines, deductions of the employed workers in the prescribed Form-12 electronically or in hardcopy .

(4) The maintenance of muster roll, wage register, overtime, fine and deduction related documents shall not be necessary by the employer, if the employer is maintaining such records of the workers in Form provided in the Occupation Safety, Health and Working Conditions (Chhattisgarh) Rules, 2021 and the Code on Wages (Chhattisgarh) Rules, 2021.

(5) Every employer shall maintain the register for weekly leave, medical leave, casual leave and earned leave of employed workers in Form-13 in electronically or in hardcopy.

17. Annual Returns. - Every employer will upload the annual return online for January to December every year in the prescribed Form-14 in the web Portal of the Labour Department within 45 days from the

completion of the year, and printed copy will be made available on demand to the facilitator during the inspection.

CHAPTER - VII
COMPOUNDING OF OFFENCES

18. Compounding of offences. - (1) The application will be submitted in Form-15 by the employer for the compounding of the offences.

(2) A register will be maintained electronically in Form-16 of the cases received by the Compounding Officer for compounding.

(3) Assistant Labour Commissioner and Labour Officer will work as the Compounding officer in the local area under his jurisdiction or direction of the Chief facilitator appointed by the State Government.

(4) An application will be submitted in prescribed form for compounding offences, before the facilitator by employer.

(5) After receiving application in prescribed Form for compounding, the Compounding officer will, peruse the application alongwith the attached documents, then, pass the order of compounding within 7 days.

(6) The Compounding officer, on application of the employer, may be able to initiate compounding against the employers who violates the provisions of the Act or Rules. The offence punishable under the Act, which is punishable only with imprisonment or imprisonment and fine, will not be subjected to compounding.

(7) The Compounding officer will make the compounding order available to the facilitator and employer within 7 working days. The defaulted employer has to deposit the compounding amount within 7 working days from the date of receipt of the Compounding order. The Compounding amount will be deposited through e-challan by the defaulted employer.

(8) In case of non-submission of compounding amount in the prescribed period, the matter will be referred to the Court authorised under Section 23 of the Act.

(9) Where the Composition of any offence is made after the institution of any prosecution, such composition shall be brought immediately by the Compounding Officer to the notice of the Court in which the prosecution is pending.

CHAPTER - VIII
MISCELLANEOUS

19. Power to grant exemption. - The State Government or Chief Facilitator appointed by the State Government, on the basis of the application by any shop or establishment or by any class or any employee or employer or any class of employees to which this Act applies or on its own, on the basis of appropriate reason can grant exemption from the provisions of the whole act or any part of it through notification on such terms and conditions, as it may deem fit, for any period of time as deemed necessary.

20. Miscellaneous. - (1) If the shop and establishment are registered under the provisions of the Employee's State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) or the Employee's Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) or under the provision of any rules, regulations or schemes registered under it, then the any registration fees will not be payable by the shop/establishment on submission of application for labour identification number within the commencement from six months of publication date in the gazette of the Chhattisgarh Shops and establishment (Regulation of employment and conditions of service) Rules, 2021, under Section 5 of the Act and rule 3, but after the period of six months, such employer of the shop/establishment shall have to submit an application in Form-I for labour identification number electronically on official web portal of labour department alongwith fee and late fee as prescribed in rule 3 compulsorily through e-challan.

(2) No registration fee will be payable within six months of the publication date in the gazette of the Chhattisgarh Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2021' on submission of application for Labour identification number by the Shop/Establishment pre-registered under the Chhattisgarh Shops and Establishments Act, 1958 which holds valid registration by timely renewal as per rules and on which the Chhattisgarh Shops And Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act of 2017 will apply, such employer of the shop/establishment shall have to submit an application in Form-I for labour identification number

electronically on official web portal of labour department alongwith fee and late fee as prescribed in rule 3 compulsorily through e-challan.

(3) The State Government or Chief facilitator appointed by State Government may amend the prescribed forms in these Rules, by the notification, as and when necessity.

Form-1

[See Section 5 (2) read with Rule 3 (1)]

Application form for registration of Labour Identification Number

To,

The Facilitator,

Office Address ....

Sub :- Application for registration of labour identification number of the Shops And Establishment.

1. Name of the Shop/establishment ....
2. Shop/Establishment commencement date ....
3. Registration Number if shop/ Establishment registered under the Employee's State Insurance Act, 1948 Or Provident Fund and Miscellaneous Provision registered Act, 1952 (Upload Registration Certificate) .....
4. Registration Number under the Shop and Establishment Act, 1958 (Upload Registration certificate) ....
5. Complete address and location of the shop/establishment .....
6. (A) Name and address of the director / employer .....
   (B) E-mail ....
   (C) Mobile Number / Telephone Number ....
   (D) Aadhaar Number (upload copy) ....
7. The office attached to the shop/establishment but located in a different location like store-room, warehouse, godown or work place etc. .....
8. Type of business, trade, commerce to be carried out .....
9. Form of establishment - Private / Public ....
10. Establishment Type - Shop / Establishment /Resident/ Hotel / Restaurant / cinemas / places of public amusement / others ....
11. Types of Organization - Proprietor firm / partnership / LLP (s) / Company / Trust / Co-operative Society /Board (Upload related records / certificates) ……..
    (A) The copy of the order of government in case of board or corporation
    (B) Certificate issued by competent authority in case of company/limited liability partnership (s)
    (C) Registration certificate by competent authority in case of co-operative society / trust
    (D) Certificate of Reserve Bank of India (RBI) / Securities Exchange Board of India(SEBI) in case of a banking company / share / mutual fund / insurance / financial institution
    (E) Certificate of Insurance Regulatory and development authority (IRDA) in case of insurance company

(F) Certificate of competent authority in case of proprietor/Partnership or others

(G) Permission Certificate issued by the District Collector / Competent Authority in case of Placement Agency

(H) Permission certificate issued by the Home Department / competent Department in case of security guard agency,

12 Details of other people Keeping interest in establishment as employer -

Sr. No.	Name and father's name	Designation	Permanent address	Type of interest holder , whether partner/member/director / share holder	Aadhar number	E-mail and mobile number
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

13 . Employees' information on the post of confidential, Managerial or supervisory nature

(A) Name ....

(B) Address ....

(C) E-mail ....

(D) Telephone / Mobile Number ....

(I) Aadhaar number ....

14. Number of workers

S.No.	Classification	Women	Men	Total
1.	Regular/direct worker			
2..	Contract worker			
3.	Part time worker			
4.	worker working under Apprentice act 1961			
5.	Others			
	Grand total			

15. Whether business is in private building or rental building ?

16. Details of landlord in case of rental building

Name and father's name	Permanent address	Mobile number	Aadhar number
(1)	(2)	(3)	(4)

(Upload copy of contract)

17 Weekly leave days ....

18 Copy of the receipt of fee deposited through E-challan..... .....

AFFIDAVIT

I / we swear to declare that : -

1. The trade that is being done by me is not legally banned by any rule, law or court.
2. The above information is correct to the best of my knowledge and belief.
3. If the above information is found to be incorrect / inaccurate, the government has full right to take legal action against me.

Dated .....

Place .....

.....

Digital signature

Owner / Partner / Manager / Secretary /

Managing director or person in charge

Form-2

[See rule 4 (2)]

The Chhattisgarh Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2017

Registration certificate for labour identification number of shop/establishment

1. Labour identification number and date ....
2. Name of the shop / establishment ....
3. (A) Full address of shop/establishment ....
   (B) E-mail ....
   (C) Telephone / Mobile Number ....
4. Types of business, Trade or Commerce..... .....
5. Form of establishment - Private / Public ....
6. Type of Establishment - Shop / establishment /
   Resident Hotels / Restaurants / Cinema /
   Other places of public amusement / others ....
7. Types of organization -
   Proprietor firm / partner / limited liability partnership (s)
   / Company / Trust / Co-operative Society / Board..... .....
8. (A) Date of commencement of the shop / establishment ....
   (B) Whether Registered under the Employee's State Insurance Act, 1948 or Employee's Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, 1952 .....
9. Name and address of the employer/Director ....
10. Name and address of the manager / agent ....
11. Name / post / address of the other person keeping interest in the establishment in form of employer (partner / shareholder) , if any..... .....
12. Details of Headquarter of establishment, (if any) ....
    ....
13. Number of Workers .....

S.No.	Classification	Women	Men	Total
1.	Regular/direct worker			
2.	Contract worker			
3.	Part time worker			
4.	worker working under Apprentice act 1961			
5.	Others			
	Grand total			

14. Weekly Holiday ....

It is certified that the shop/establishment, the details of which have been given above, on the basis of the Application / Declaration submitted by the employer and self certified records, the Chhattisgarh Shops and Establishments (Regulation of employment and Conditions of Service) Act, 2017 read with the Chhattisgarh Shops and Establishments (Regulation of employment and Conditions of Service) Rules, 2021 without physical verification of the existence of the shop / establishment, the labour identification number was issued on.../…/…… . On the basis of this certificate, there will be no right to claim any property, shop, establishment or name.

Issuing Officer's Digital Signature

Form-3

[See rule 4 (2)]

Register of Shops and Establishments

Name and Address of the District Office ....

S. No.	Labour Identification number and date of issuing	Name and address of Shop/Establishment	Employers name and residential address	Manager name and residential address	Whether Shop/Establishment is public/ private	Addresses of Shop/Establishment attached but in a different place from the Shop/Establishment like store house, warehouse or workplace
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Date of commencement of Shop /Establishment	Type of business	Number of employer's family members /male/female employed in Shop/Establishment	Numbers of employed workers in Shop/Establishment for managerial and confidential work	Total number of workers	Details of the Member (name and address) other than Employer (director / partner/ Shareholder)	Whether Shop/Establishment is registered under PF / ESI. If registered then registration number
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				1. Regular or direct worker		

				2. contractual worker		
				3. part-time worker		
				4. worker working under Apprentice Act, 1961		
				Grand total		

Form- 4

[See rule 5 (1)]

INFORMATION REGARDING AMENDMENT/CHANGES OF LABOR IDENTIFICATION NUMBER

To,

Facilitator

Office Address ....

Subject :- Application for change in the registration certificate of labour identification number of the shop and establishment.

1. Name and address of the shop/establishment ....
2. Name and address of the employer ....
3. The Aadhar number of the employer .....
4. Labour Identification Number ....
5. E-challan of amendment fee .....

6.	Detail of proposed amendment in labour identification number certificate		
		Current detail	Proposed change
A	Name of shop/ establishment		
B	Employer/director's name		
C	Types of business/ trade/ commerce		
D	Address of shop/ establishment		
E	Detail of employed workers		
F	Any other changes		

(Upload necessary records with regard to change/amendment)

Affidavit

I / we swear to declare that: -

1. The trade being done by me is not legally banned by any rule, law or court.
2. The above amended information is correct to the best of my knowledge and belief.
3. If the above information is found to be incorrect / inaccurate, then the government has full right to take legal action against me.

Place .....

Dated .....

.....

Digital signature

Owner / Partner / Manager / Secretary /

Managing director or Person in charge

Form-5

[See rule 6]

Notice of closure of shop /Establishment

To,

Facilitator

Office Address ....

Subject -Application with regard to the closing of shops and establishment.

1.	Name and address of Shop/ establishment			
2.	Labour Identification number			
3.	Name and address of employer			
4.	E-mail			
5.	Telephone/mobile number			
6.	Aadhar number of employer			
7.	Details of partner/director/trust/board members			
8.	Types of organization/ business Proprietor/Partnership/ Company/trust/ society/ board			
9.	Name and address of Authorised person/ manager	Name and E-mail	Aadhar number	Mobile number
10.	Name and address of Headquarter (if provided)			

11-

Details of affected workers due to closure of shop/establishment

S.No.	Classification	Women	Men	Total
1.	Regular/direct labour			
2.	Contract labour			
3.	Part time labour			
4.	Labour working under Apprentice act 1961			
5.	Others			
	Grand total			

12	Details of payment of final legal dues of employed worker	
13	Date of termination /closure of business	
14	Reasons for termination /closure	

AFFIDAVIT

I / we swear to declare that: -

1. That all the Labours / workers / employees working in the shop and establishment have been paid the final legal dues according to the law.
2. If the above information is found to be incorrect / inaccurate, then the government has full right to take legal action against me.

Place .....

Date .....

.....

Digital signature

Owner / Partner / Manager / Secretary /

Managing director or person in charge

Form-6

[See Section 6 (2) and Rule 7]

Application for permission to employing women employee/worker in night shift

s

To,

Facilitator

Office Address ....

Sub :- Application for permission to employ women employee/worker in night shift in shop/ establishment

1. Name and address of the shop / establishment ....
2. Labour Identification number .....
3. Name and address of employer ....
4. E-mail ....
5. Telephone / Mobile Number ....
6. Aadhar number of the employer ....
7. Period of shift ....
8. Number of women employed ....
9. Nature of work taken from women ....
10. Details of measures for safety
    (A) Details of vehicle with security guards to drop the women worker from workplace to the residence
    (B) Details of complaint box for women employee/worker
    (C) Details of women security guards who are appointed to protect women employee in night shift
    (D) Details of separate urinal and toilets for women employee
    ....
11. Upload consent letter from women employees ....
12. Details of the Committee constituted under the Sexual Harassment of Women At Work Place (Prevention, Prohibition and Compensation) Act, 2013..... ....

AFFIDAVIT

I / we swear to declare that: -

1. That the work is being taken from the female employees in night-shift by following the provisions mentioned in the Chhattisgarh Shop and Establishment (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2017 read with Chhattisgarh Shop and Establishment (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2021 and bonafide consent has been taken from women employees.
2. It is notable that the Committee on Sexual Harassment is formed under the chairperson Ms/Mrs. ..... in the institute

3. The Chhattisgarh shops and Establishment (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules 2021 read with Chhattisgarh Shop and Establishment (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2017 is being followed by me.
4. If the above information is found to be incorrect / inaccurate, then the government has full right to take legal action against me.

Place ....

Dated .....

Digital signature
Owner / Partner / Manager / Secretary /
Managing director or person in charge

Form-7

[See Section 6 (2) and Rule 7 (1)]

Consent letter with regard to women employees/workers in night shift

I Miss / Smt. ..... Father / Husband's Name .... Address ..... ……. working currently at the shop / establishment ..... Address ..... on designation .... working period from ..... in the night shift, due to the continuous functioning of the shop / establishment and in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Shop and Establishment (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2021 read with Chhattisgarh Shop and Establishment (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2017 for the health and safety of women employees at the work place .In the presence of the security guards in the vehicles from the establishment to the place of residence and more than 03 female employees being employed in the night shift, I provide consent to work in the night shift from ..... to ..... .

I am also aware that in the establishment, sexual harassment of women at work place (Prevention, Prohibition and Compensation) Act, 2013 Committee has been formed under the chairmanship of Ms/Mrs. ..... ,.....

.....

Name and sign of female
worker
Mo. No:
Address:

Dated:- .....

Form- 8

[See Section 10 (4) and Rule 12]
Notice of Working Hours, Rest interval, weekly holiday

1. Name and address of the shop / establishment .....
2. Labour identification number ....
3. Name and address of employer ....
4. E-mail ....
5. Telephone / Mobile Number ....

S.No.	Name of employee	Designation	Hours of work from.....to.....	Rest interval from....to...	Days of weekly holiday
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

All the employees working in the shop and establishment are given the information of working in shifts and weekly holidays as follows-

S.No	Name of employee	Designation	Date of month	Date of month	Date of month	Date of month	Days of weekly holiday
			General shift from.....to....	First shift from.....to....	Second shift from.....to....	Third shift from.....to....	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Dated .....

.....
Signature of the employer / manager

Form- 9

[See Section 8 and Rule 13]

Application for permission to take work from employees more than a stipulated period and weekly holiday

To,

Facilitator
Office Address ....

Sub:- Application for permission to take work under special circumstances in the shop and establishment for more than the stipulated period or weekly holiday under Section 8 .

1. Name and address of the shop / establishment .....

2. Labour identification number ....

3. Name and address of employer ....

4. E-mail ....

5. Telephone / Mobile Number .....

6. Reason of the overtime .....

7. Duration of the overtime ....

8.Total number of women / men working in the establishment .....

9. The nature of work to be taken in overtime ....

10. Number of workmen required to get work done

in overtime / Weekly Holiday Female + Male = Total

....

....

Name and signature of the

Establishment head

Above should be filled by the office of the Facilitator

The said permission is made subject to the provisions of Section ..... under the prescribed rules .....

Name and signature of the

Facilitator

Form-10

[See Rule 16 (1)]

EMPLOYEE PERSONAL IDENTITY CARD

Name of the shop/establishment and labor identification number: .....

1.Name of the workman ....

2. Father / Husband's name ....

3. Address ....

4. Gender ....

5. Post/ Designation ....

6. Telephone / Mobile Number ....

7. Aadhar Number ....

8. Date of appointment in the shop and establishment .....

Dated .....

.....

Signature of the employer / manager

Form-11

[See Section 18 (1) and Rule 16 (2)]

ATTENDANCE REGISTER/MUSTER ROLL OF EMPLOYED WORKERS

1. Name and address of the shop / establishment .....
2. Labour identification number .....
3. Year/Month.....

Sr.No	Full name of employee	Designation and Nature of work	Age	Gender	Date of appointment	Hours of work		Rest interval		Date(s) of Month					
						from	to	from	to	1	2	3	4	5	6

Date(s) of month																								Total working days
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Dated.....

.....

Signature of Employer/Manager

Form- 12

(See Section 18 (1) and Rule 16 (3))

Register of Employee's wage, overtime and deduction

1. Name and address of the shop / establishment .....
2. Labour identification number ....
3. Month /year ....

Sr.No.	Full name of employee	Designation And Nature of work	Total working days	Prescribed basic wage	Total unit production according to Piece rate payment	Prescribed basic piece rate per unit	Total payable basic wage on the basis of piece rate according to Production unit	HRA	DA

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Other allowances	gross Wage (5+9+10+11) or (8+9+10+11)	Total overtime hours done in a month	Earned Wage for overtime	Deductions 15								
				Provident funds share	family pension	ESI share	Share of labour welfare board	Income tax	Loan and interest	Advance	Others	Total deduction
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)								

Total payable amount (12-15)	Date of payment	Bank details of employee	Cheque number and date/RTGS/NEFT Transfer date	Deposited amount	Signature or Thumb impression of employee
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)

Dated .....

Signature of the employer / manager

Form-13

[See Section 18 (1) and Rule 16 (5)]

LEAVE REGISTER OF EMPLOYED WORKERS

1. Name and address of the shop / establishment ..... Labour identification number .....
2. Name of employer ....
3. Name and Designation of employee..... Date of appointment ....
4 .Years ..... acknowledgment of leave register (employee signature)

Earned leave register

Accumulated earned leave in previous	Allowed earned leave	Payment for leave period	Un-accepted Leave	Reminder Leave at the end of the Year	Payment of accumulated leave at the time of service termination

year												
(1)	(2)		(3)	(4)			(5)			(6)		
	from	to		Date of application	Un-accepted date	Un-accepted reason	Remaining leave at the end of year	Earned leave for current year	Total	Date of termination	Accumulated earned leave	payment of accumulated earned leave

Casual Leave Register

Payable leave in the year (number of days)	Leaves taken in the year with date	Number of days of remaining leave	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)

Festival Leave Register

Payable leave in year (number of days)	Leaves taken in the year with date	Number of days of remaining leave	Payment made for work taken on holidays	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Dated .....

.....

Signature of the employer / manager

Form- 14

[See Section 19 and Rule 17]

Annual Return

Year .....

1. Labour identification number and date ....
2. Name of the shop / establishment ....
3. Complete address of the establishment ....

4. Name of the employer / partner / Director / authorized person .....

5. Name of the Manager ....

6. Total Number of employees .....

Sr. No.	Class	Female	Male	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Regular and Direct employees			
2.	Contractual employees			
3.	Part time employees			
4.	Employee under apprentice Act, 1961			
5.	Other			
	Grand total			

7. Type of business ....

8. Average employees per shift: - First shift ..... Second shift..... Third shift .....

9. Is the shift notified and Has information been sent to facilitator ? Yes /No .....

10. Number of women employees in the year ....

11. Number of women employees in the night shift ....

12. Whether women have agreed for work in night shift ? Yes /No .....

13. Is weekly leave information displayed ? Yes /No .....

14. Whether sexual harassment at workplace (Prevention, Prohibition and compensation) Act of 2013 Internal committee has been formed ? Yes / No / Not applicable .....

If yes, the name of the chairman of the committee .....

15. Whether the police verification of the drivers done dropping women workers to residence done ? Yes / No / Not applicable .....

16. Has the appointment letter given to all the employees? Yes / No .....

17. Has identification card given to all employees? Yes / No .....

18. Is leave register maintained ? yes/ No .....

19. Is first aid box kept ? Yes/No .....

20. Whether all the registers and records are maintained according to rules and notices duly informed ? Yes/No .....

21. Whether any application is produced before the compounding officer in the year ? Yes/ no .

If yes, date of application .....Date of compounding..... Amount of compounding .....

22 Has any accident occurred in the shop/establishment ? Yes/No.....

If yes, date and detail of accident .....

Injured employees number ..... Compensation provided.....

AFFIDAVIT

I/we pledgefully declare that, information given by me of annual report is correct and appropriate based on best of my knowledge. If above information found incorrect/wrong then government has the complete right to take legal action against me.

Place ....

Dated .....

Digital signature

Owner / Partner / Manager / Secretary /

Managing director or person in charge

Form-15

[See Section 24 and Rule 18 (1)]

APPLICATION FOR COMPOUNDING OF OFFENCES

To,

The Compounding officer,

Office Address ....

Subject: - Application for compounding of offences.

Reference: - Date of Inspection / Memorandum

Sir,

In the context of the above subject, the inspection of our shop / establishment by the facilitator was done on .....and facilitator has issued notice letter dated ..... to our shops and establishment for violation of certain provisions.

I / we agree to submit the compulsory amounts stipulated by the compounding Officer in relation to all the breaches mentioned in the Inspection Note/Notice issued by the facilitator. The infringements mentioned in the inspection note/notice are as follows-

Sr. No.	Violated section/rule	Brief detail of violation

1. Whether the prosecution has been filed by the facilitator for the above violations - yes / no
2. If so, the violated section ..... and the date of the prosecution ....
3. Whether any action was taken previously for compounding for violation of this section or rule has been done Yes / No
4. If yes, the compounding date ....amount .....

I request you that I / we have resolved the breaches. Therefore, kindly issue compounding order for the above violations and I / We agree to deposit the compounding amount at the due time. If I / we fail to deposit the said amount then prosection can be file case against me under the Act.

Place .....

Dated .....

Name and signature of

.....

Owner / Partner / Manager / Secretary /

Managing director or person in charge

Name of establishment and labor identification number

Order of the compounding officer

Order issued by the compounding Officer in the case ..... and imposed penalty amount .....

Signature of the Sailing Officer

Name.....

Designation .....

Office .....

Form-16

[See Section 24 and Rule 18 (2)]

REGISTER OF COMPOUNDING OF OFFENCES

Case no and date	Applicant's name and address	Name and address of shop/establishment	Labour Identification Number	Violated section/Rules and their brief detail	Compounding date and amount ordered by compounding officer	Date of compounding amount deposited	Remark	Signature of compounding officer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ASHUTOSH PANDAY, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2022.